वार्षिक रिपोर्ट

2013-14

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

भारत सरकार

एन.डी.एम.ए. भवन, ए–1, सफदरजंग एनक्लेव,

नई दिल्ली – 110 029

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट
2013-2014

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए–1, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली–110 029

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
	संक्षेपाक्षर	III-V
अध्याय 1	प्रस्तावना	1 - 2
अध्याय 2	कार्यकलाप एवं उद्देश्य	3 - 4
अध्याय 3	उल्लेखनीय घटनाएं	5 - 6
अध्याय 4	नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	7 - 10
अध्याय 5	क्षमता विकास	11 - 14
अध्याय 6	कृत्रिम अभ्यास/कवायद एवं जागरूकता सृजन	15 - 17
अध्याय 7	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं	19 - 29
अध्याय 8	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल : आपातकालीन कार्रवाई को मजबूत करना	31 - 40
अध्याय 9	प्रशासन एवं वित्त	41 - 43
	अनुबंध – I	45
	अनुबंध – II	46 - 47

संक्षेपाक्षर

ए.ई.सी.	परमाणु ऊर्जा आयोग
ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
ए.आर.सी.	प्रशासनिक सुधार आयोग
ए.आर.एम.वी.	दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन
सी.बी.डी.आर.एम.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन
सी.बी.ओ.	समुदाय आधारित संगठन
सी.बी.आर.एन	रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय
सी.सी.ई.ए.	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
सी.डी.	नागरिक सुरक्षा
सी.डी.एम.	रासायनिक आपदा प्रबंधन
सी.एम.ई.	सैन्य इंजीनियरी महाविद्यालय
सी.पी.एम.एफ.	केंद्रीय अर्ध सैन्य बल
सी.आर.एफ.	आपदा राहत कोष
सी.एस.सी.	सामुदायिक सेवा केंद्र
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त संरचना संबंधी खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.आर.डी.ई.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान
डी.आर.डी.ओ.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.ओ.सी.	आपातकालीन प्रचालन केंद्र
ई.ओ.आई.	रुचि की अभिव्यक्ति
ई.पी.जेड.	आपातकालीन योजना क्षेत्र
ई.आर.सी.	आपातकालीन कार्रवाई केंद्र
ई.डब्ल्यू.	पूर्व–चेतावनी

एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की)	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ (फिक्की)
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.डी.एम.ए.	गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
हजकेम	खतरनाक रसायन
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आई.ए.एन.	एकीकृत एम्बुलेन्स नेटवर्क
आई.सी.पी.	घटना नियंत्रण चौकी
आई.ई.सी.	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आई.एम.सी.	अंतर मंत्रालयीन समिति
आई.एम.डी.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
आई.एन.टी.ए.सी.एच.	भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट
आई.आर.एस.	घटना कार्रवाई प्रणाली
आई.आर.टी.	घटना कार्रवाई टीम
आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
जे.पी.एन.ए.टी.सी	जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर
एल.बी.एस.एन.ए.ए.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
एम.ए.एच.	वृहत दुर्घटना संकट
एम.एफ.आर.	चिकित्सा प्राथमिक सहायता कर्मी
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एम.आई.एस.पी.	न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज
एम.ओ.डी.	रक्षा मंत्रालय
एम.ओ.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.पी.एम.सी.एम.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना प्रबंधन
एन.सी.सी.एफ.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.सी.आई.	राष्ट्रीय आपदा संचार आधारढांचा
एन.डी.सी.एन.	राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.एफ.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एन.एल.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.एस.ए.	राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबिल
पी.आई.बी.	सार्वजनिक निवेश बोर्ड
पी.पी.पी.	सार्वजनिक निजी सहभागिता
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थाएं
पी.एस.एस.एम.एच.एस.	मनो–समाजिक सहयोग एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं
पी.टी.एस.डी.	पोस्ट–ट्रॉमेटिक तनाव विकार
आर.एंड डी.	अनुसंधान एवं विकास
आर.एफ.पी.	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
एस.एंड टी.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
एस.डी.एम.ए.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा कार्रवाई बल
यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
यू.एम.एच.पी.	शहरी मानसिक चिकित्सा कार्यक्रम
यू.एन.पी.एफ.	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
यू.एस.ए.आई.डी.	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विकास अभिकरण
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
डब्ल्यू.जी.	कार्य समूह

1 प्रस्तावना

असुरक्षितता विवरण

1.1 भारत, भिन्न–भिन्न प्रकार के जोखिम और अनेक आपदाओं का शिकार बनने वाला देश है। इसका 58.6 प्रतिशत से अधिक भू–भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता के भूकम्प का क्षेत्र है तथा इसकी भूमि का 400 लाख हैक्टेयर (12%) बाढ़ ग्रस्त और नदी कटाव वाला क्षेत्र है। इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि.मी. के लगभग भू–भाग में चक्रवातों और सुनामी की आशंका बनी रहती है। इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखा–ग्रस्त है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम रहता है। इसके अतिरिक्त, भारत रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय संकट (सी.बी.आर.एन.) तथा अन्य मानव–जनित आपदाओं के प्रति भी संवेदनशील है। लेह में बादल फटने की घटना और उत्तराखंड में आई आकस्मिक बाढ़ों की घटनाएँ इन जोखिमों की हल्की सी याद दिलाती हैं कि यह देश किस तरह ऐसी आपदाओं से असुरक्षित हो सकता है।

1.2 भारत में आपदाओं की जोखिम, जनांकिकीय और सामाजिक–आर्थिक अवस्थाओं में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भू–गर्भीय संकट, भौमिक खतरों, महामारियों और संक्रामक रोगों से संबद्ध बढ़ती संभावनाओं से और भी अधिक वृद्धि हुई है। स्पष्टतः, इन सब बातों से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए संकट बन जाती हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की उत्पत्ति

1.3 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मानते हुए, अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकंप के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने के लिए तथा कारगर प्रशमन तंत्र का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था। तथापि, हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत सरकार ने देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित कदम उठाने और उसे कार्य रूप देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक संसदीय अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का गठन

1.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया और 27 सितंबर, 2006 को इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का संघटन

1.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के अध्यक्ष भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उपाध्यक्ष श्री एम. शशिधर रेड्डी विधायक हैं जिनके साथ आठ अन्य सदस्य हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को केंद्रीय कबीना मंत्री का दर्जा प्राप्त है और प्राधिकरण के सदस्यों को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

1.6 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) से संबद्ध वर्तमान सदस्य निम्नानुसार हैं :

1.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16.12.2010 से)
2.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (15.12.2011 से)
3.	मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल	सदस्य (06.10.2010 से)
4.	श्री टी. नंदकुमार	सदस्य (08.10.2010 से 28.02.2014 तक)
5.	डॉ. मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10.12.2010 से)
6.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (14.12.2011 से)
7.	डॉ. हर्ष कुमार गुप्ता	सदस्य (23.12.2011 से)
8.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (04.06.2012 से)
9.	श्री विनोद के. दुग्गल	सदस्य (22.06.2012 से 23.12.2013 तक)
10.	डॉ. के सलीम अली	सदस्य (03.03.2014 से)
11.	श्री के.एम. श्रीवास्तव	सदस्य (03.03.2014 से)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय

1.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित किया गया था। सचिवालय के अध्यक्ष सचिव होते हैं और उनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता है। उसमें दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक/उप निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के लिए सहायक अधिकारी तथा स्टाफ होता है। आपदा प्रबंधन एक विशिष्ट विषय है, अतः यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अनुबंध आधार पर उपलब्ध रहे। संगठन के काम में अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी सहायता प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संगठन की विस्तृत चर्चा 'प्रशासन एवं वित्त' नामक एक पृथक अध्याय में की गई है।

2 कार्यकलाप एवं उद्देश्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन की शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नीति, योजना और दिशानिर्देश निर्धारित करना है। इसके विधायी कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है :

क) आपदा प्रबंधन के विषय में नीतियां बनाना;

ख) राष्ट्रीय योजना को और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं को अनुमोदित करना;

ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के पालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना;

घ) आपदा निवारण के उपायों को समेकित करने तथा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना;

ङ) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना;

च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशि की व्यवस्था की सिफारिश करना;

छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए;

ज) आपदा निवारण के लिए, अथवा आपदा के संकट की स्थिति से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. आवश्यक समझे;

झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना;

ञ) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) पर प्रमुख अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना;

ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री की आपातकालीन प्राप्ति के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकारी को प्राधिकृत करना;

ठ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव–जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों का प्रबलता से संलिप्त होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (बगावत के विरुद्ध कार्रवाई), कानून और व्यवस्था की स्थिति, क्रमिक बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटनाएं, सी.बी.आर.एन. हथियार प्रणाली, खान आपदाएं, पत्तन और बंदरगाह की आपातस्थितियाँ, जंगल की आग, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने की घटनाओं से वर्तमान तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा निपटना जारी रहेगा।

2.3 तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश बनाएगा, प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को सुकर बनाएगा। प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं के लिए जैसे चिकित्सा तैयारी, मनो–सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, जागरूकता अभियान चलाना

आदि विविध विषयों पर संबंधित हितधारकों की भागीदारी में एन.डी.एम.ए. का भी ध्यान आकृष्ट करेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास उपलब्ध संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यकलाप के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दूरदृष्टि (विजन)

2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 से उत्पन्न दूरदृष्टि (विजन) निम्न प्रकार है :

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य

2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं:

क) सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम, तैयारी और समुत्थान की संस्कृति को बढ़ावा देना।

ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।

ग) आपदा प्रबंधन सरोकारों को विकासात्मक योजना में पूरी तरह शामिल करना।

घ) सक्षम नियामक वातावरण और एक अनुपालनात्मक व्यवस्था का सृजन करने लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय–विधिक ढांचों को स्थापित करना।

ङ) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और अनुवीक्षण करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना।

च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रत्युत्तरपूर्ण और बाधा–रहित संचार से युक्त समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।

छ) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों के अनुकूल कारगर कार्रवाई और राहत सुनिश्चित करना।

ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा–समुत्थानशील इमारतें खड़ी करने को एक अवसर के रूप में मानते हुए पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना।

झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ उत्पादक और सक्रिय (प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव) सहभागिता को बढ़ावा देना।

"आपदा प्रबंधन–रोकथाम, प्रशमन, तत्परता एवं कार्रवाई प्रेरित संस्कृति के माध्यम से समग्र, सक्रिय, बहु–आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना शामिल है।"

3 उल्लेखनीय घटनाएं

पुनरावलोकन

3.1 बीते हुए वर्षों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) राहत केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर रोकथाम, तैयारी तथा प्रशमन पर अधिक जोर देते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर एक आमूलचूल परिवर्तन करके राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु एक सांस्थानिक प्रक्रम स्थापित करने में समर्थ रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि आपदा विशिष्ट, विषय–वस्तु आधारित एवं विविध विषयों को कवर करने वाले अनेक दिशानिर्देश जारी करना रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दृष्टिकोण रैखिक एवं वृद्धिपूर्ण सुधारों में बदलाव करके संरचनात्मक सुधारों और व्यवस्थागत परिवर्तनों की शासन–प्रणाली को अपनाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश में समुत्थानशीलता को सुदृढ़ करने के लिए एक समर्थकारी वातावरण तैयार करने में अन्य हितधारकों को अपनी सहायता देने के लिए एक प्राधिकरण से अधिक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करके अपनी भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा से निपटने के लिए कार्रवाई हेतु राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) को एक समर्थ विशेषज्ञ बल के रूप में स्थापित करने के लिए अधिक आवश्यक आवेग भी प्रदान किया है। और यह सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता दी है, कि एन.डी.आर.एफ. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षित एवं सुसज्जित रहे।

3.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ऐसे कार्यकलाप जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं। ये विशेष रूप से वर्ष के दौरान किए गए महत्त्वपूर्ण कार्यकलाप, बड़ी आपदाओं के प्रति की गई कार्रवाई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उपलब्धियों और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के आगमन के संबंध में हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 5वीं बैठक

3.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 5वीं बैठक का दिनांक 28.10.2013 को 7, रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली पर माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने भारत को आपदा समुत्थानशील बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा की और जोखिम न्यूनीकरण उपायों में योजना तथा निवेश के महत्त्व को दोहराया।

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच

3.4 भारत सरकार ने सरकार के संकल्प सं० 47–31/2012–डी.एम. III दिनांक, फरवरी, 2013 के द्वारा एक बहु–हितधारक राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (एन.पी.डी.आर.आर.) गठित किया गया है। राष्ट्रीय मंच का उद्देश्य सरकार, सांसदों, मेयरों, मीडिया, अंतरराष्ट्रीय संगठन, एन.जी.ओ., स्थानीय सामुदायिक प्रतिनिधियों, वैज्ञानिक तथा अकादमिक संस्थाओं तथा कार्पोरेट व्यापारिक घरानों आदि, से भारत के आपदा जोखिम समुदाय की एक संपूर्ण वर्ग को एक साथ लाना है। इससे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के लिए अवसर तलाशने तथा अनुभव, विचारों तथा निरीक्षणों, अनुसंधान तथा कार्रवाई के वर्तमान निष्कर्षों को बांटने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय मंच के निष्कर्षों (आउटपुट) से आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर हमारी राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए एक रणनीतिक दिशा और एक रोडमैप प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय मंच के कार्यकलाप

- समय–समय पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना।
- केंद्र तथा राज्य सरकारों, तथा अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन नीति को लागू करने सबंधी प्रसार तथा तरीके की सराहना करना और इस मामले में उचित सलाह देना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, स्थानीय स्व सरकारों और नागरिक समाज संगठनों के बीच समन्वय पर सलाह देना।

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच का प्रथम सत्र

3.5 राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच के गठन के बाद, भारत सरकार ने 'जोखिम से समुत्थानशीलता के विकास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य स्थान देना' विषय पर दिनांक 13–14 मई, 2013 के दौरान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच का प्रथम सत्र' आयोजित किया। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच के प्रथम सत्र का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा किया गया। सत्र को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने भी संबोधित किया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 9वां स्थापना दिवस

3.6 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 04.10.2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया था। इस साल फोकस उत्तराखंड आपदा पर था और डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा समारोह की गरिमा बढ़ाई गई। माननीय प्रधानमंत्री ने 20 कार्मिकों (भारतीय वायु सेना से 5, भारत तिब्बत सीमा पुलिस से 6 और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल से 9 कार्मिक) जिन्होंने उत्तराखंड में बचाव अभियानों के दौरान हेलिकॉप्टर दुर्घटना में अपनी कीमती जान गवाई, के संबंधियों को प्रशस्ति–पत्र (स्क्रोल) एवं दो लाख रुपए प्रति कार्मिक का एक चेक देकर उन्हें सम्मानित किया। श्री सुशील कुमार शिंदे, केंद्रीय गृह मंत्री एवं श्री मुलापल्ली रामचंद्रन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। उद्घाटन सत्र के बाद दो तकनीकी सत्र–'उत्तराखंड से सीखे सबक' और 'विकट मौसमी घटनाएँ' आयोजित किए गए। श्री विजय बहुगुणा, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड समापन सत्र में मुख्य अतिथि थे।

3.7 दो तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए थे। पहले सत्र में उत्तराखंड में हिमालयी सुनामी–जून 2013 की बाढ़ों तथा भूस्खलनों के बाद किए गए व्यापक राहत, बचाव और सुरक्षित निकासी अभियानों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया और सीखे गए कुछ मुख्य सबकों को सामने लाया गया। दूसरा तकनीकी सत्र–'विकट मौसमी घटनाएँ' का फोकस इस बात पर था कि वर्तमान में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए कि कैसे सर्वश्रेष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सकता है। सत्र की अध्यक्षता करते हुए, श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष एन.डी.एम.ए. ने बेहतर प्रेक्षणात्मक एवं पूर्वानुमान क्षमताओं हेतु जरुरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें लघु वृद्धिपूर्ण बढ़ोतरियों के दृष्टिकोण से बढ़कर आगे आना है और उच्चतम मानकों के संबंध में हमारी पूर्ण आवश्यकताओं पर हमनें अब फोकस करना है।

आपदा न्यूनीकरण दिवस

3.8 एन.डी.एम.ए. ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) ने अक्तूबर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस की तर्ज पर नई दिल्ली में 9 अक्तूबर, 2013 को "आपदा न्यूनीकरण दिवस" मनाया।

3.9 छात्रों द्वारा छात्र सुरक्षा पर एक लघु नाटिका (स्किट) पेश की गई जिसके बाद स्कूली छात्रों द्वारा उत्तराखंड में हालिया आपदा और उसके शिक्षा पर पड़े प्रभाव पर अनुभव साझा किए गए। एन.डी.एम.ए. और एन.आई.डी.एम. द्वारा आयोजित स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश के स्कूलों के विभिन्न छात्रों को भी पुरस्कार दिए गए। स्लोगन प्रतियोगिता के लिए 235 प्रविष्टियाँ (अंग्रेजी–150 और हिंदी–85) और पोस्टर प्रतियोगिता के लिए 211 प्रविष्टियाँ थीं।

4 नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी.एम.) 2009

4.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 18 जनवरी, 2010 को जारी की गई थी। इसमें आपदाओं के तत्काल प्रबंधन के संबंध में पूर्ववर्ती कार्रवाई केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन को दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.डी.एम.पी.) की मुख्य बातें

4.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खंड 6(2) (ख) के साथ पठित खंड 11 के अनुसार, एन.डी.एम.पी. को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा एन.पी.डी.एम. 2009 के संबंध में तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ निकायों या संगठनों और राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किया जाएगा और इसे एन.डी.एम.ए. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। एन.ई.सी. ने 21.10.2013 को गृह सचिव की अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित अपनी 15वीं बैठक में मसौदा एन.डी.एम.पी. को समाशोधित (क्लियर) कर दिया था और इसे एन.डी.एम.ए. के अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय के माध्यम से अग्रेषित किया। व्यापक परामर्श के बाद मसौदा एन.डी.एम.पी. संशोधन के अधीन है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

4.3 उद्देश्यों को योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न (प्रशासनिक, अकादमिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) संस्थाओं, जो राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर काम कर रही हैं, की मदद से अनेक प्रयासों को शामिल करते हुए मिशन–आधारित दृष्टिकोण को अपनाया है। नीति के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को, अन्य सभी हितधारकों के अलावा, दिशानिर्देश बनाने में शामिल किया गया है। ये दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट आपदाओं और प्रसंगों पर आधारित होंगे (जैसे क्षमता विकास और जन जागरूकता) जो योजनाओं की तैयारी का आधार बनेंगे। इन दिशानिर्देशों की तैयारी में विषय की जटिलता पर निर्भर करते हुए 12 से 18 मास का न्यूनतम समय लगा। दिशानिर्देश बनाने में अपनाए गए दृष्टिकोण में भागीदारों के साथ सहभागिता और परामर्श प्रक्रिया के **'नौ चरण'** शामिल हैं, जैसाकि चित्र 4.1 में दर्शाया गया है।

4.4 इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :–

- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा अब तक किए गए कार्यों/उपायों के आपदावार किए गए अध्ययनों की त्वरित समीक्षा।
- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और विधिक मुद्दों से संबंधित शेष कार्यों की पहचान।
- गंतव्य कार्य योजना तैयार करना, जिसमें सुगम मॉनीटर करने को सुकर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को उचित प्रकार से दर्शाया गया हो।
- उद्देश्यों और लक्ष्यों के रूप में, अल्पावधि एवं दीर्घावधि में गंतव्य की पहचान जिनकी विधिवत् प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण, अनिवार्य और ऐच्छिक रूप में दर्शाकर हासिल की जाएं।
- चार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों, अर्थात् क्या किया जाना है? किस प्रकार किया जाना है? कौन करेगा? और कब तक किया जाना है? के उत्तर दिए जाएं।
- एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए, जो इस कार्य योजना के प्रचालनीकरण की देखभाल करे।

दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया

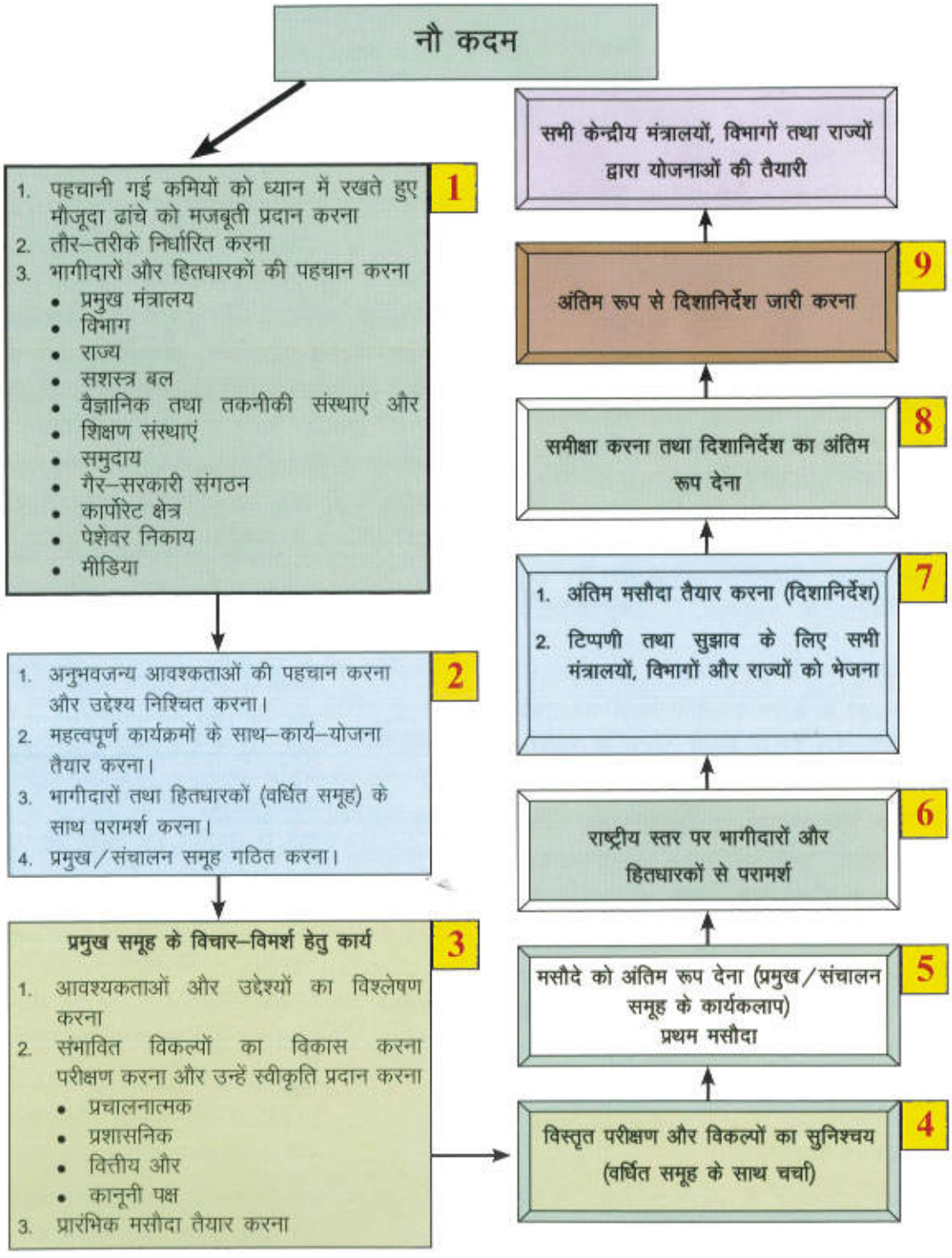

चित्र 4.1

4.5 एन.डी.एम.ए. द्वारा पिछले वर्षों के दौरान निम्नलिखित दिशानिर्देश तथा अन्य रिपोर्टें जारी की गईं –

एन.डी.एम.ए. द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की सूची

क्र. सं.	विवरण
1.	भूकंप
2.	सुनामी
3.	चक्रवात
4.	बाढ़
5.	शहरी बाढ़
6.	सूखा
7.	भूस्खलन
8.	नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थितियां
9.	रासायनिक आपदा (औद्योगिक)
10	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा
11.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन
12.	जैव आपदा
13.	मनो–सामाजिक सहायता
14.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं का प्रतिपादन
15.	घटना कार्रवाई प्रणाली
16.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली
17.	अग्निशमन सेवाओं का स्तर निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण

अन्य रिपोर्टों की सूची

क्र. सं.	विवरण
1.	नागरिक सुरक्षा का पुनर्गठन
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) की कार्यप्रणाली
3.	स्वास्थ्य से परे विश्वव्यापी महामारी
4.	पी.ओ.एल. टैंकरों के परिवहन हेतु सुरक्षा और सावधानी का सुदृढ़ीकरण
5.	नगर जलापूर्ति और जलाशयों के संकट
6.	आपदा के कारण मृत हुए लोगों के शवों का प्रबंधन कार्य
7.	आपदा के प्रति कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण प्रणाली
8.	नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिका: भाग I एवं II

4.6 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) चरण–I के अंतर्गत, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई.) ने दिशानिर्देशों की एक पुस्तक को तैयार किया है जिसका शीर्षक "चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में सड़कों की योजना तथा निर्माण हेतु दिशानिर्देश" है।

तैयार किए जा रहे दिशानिर्देश

4.7 निम्नलिखित दिशानिर्देश सम्पूर्णता की अग्रिम अवस्था के अंर्तगत है:

क) अस्पताल सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश

ख) समुदाय आधारित जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश

ग) आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका पर राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश

घ) कमजोर/त्रुटिपूर्ण इमारतों और ढांचों की भूकम्पीय रूप से पुनः मरम्मत पर राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश।

4.8 नीति दिशानिर्देशों की विषय–वस्तु को तय करने के लिए राष्ट्रीय परामर्श का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। मसौदा दिशानिर्देशों की वर्तमान में समीक्षा की जा रही है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस.डी.एम.ए.) और राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एस.डी.एम.पी.)

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन

4.9 आपदा प्रबंधन अधिनियम, के खंड 14 के अनुसार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस.डी.एम.ए.) हर राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है जिसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री और 9 अन्य सदस्य शामिल होते है। सभी 35 राज्यों और संघ–राज्य क्षेत्रों ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को गठित कर लिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निम्न बातों की जिम्मेदारी होती है:

क) राज्य आपदा प्रबंधन नीति निर्धारित करना

ख) एन.डी.एम.ए. द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी देना

ग) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार आपदा प्रबंधन योजनाओं को मंजूर करना

घ) राज्य सरकारों की विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं और प्रशमन के

लिए उपायों के एकीकरण के उद्देश्य से राज्य सरकारों के विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को निर्धारित करना और इसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना

ड.) राज्य आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन का समन्वय आदि।

राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना

4.10 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, 12 राज्यों ने अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार कर लिया था। नियमित फॉलोअप के बाद, 10 और राज्यों ने इसे तैयार कर लिया और एन.डी.एम.ए. के साथ अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को साझा किया है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, 22 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार कर लिया–(1) आंध्र प्रदेश (2) अरुणाचल प्रदेश, (3) असम, (4) छत्तीसगढ़, (5) गोवा, (6) गुजरात, (7) हरियाणा, (8) हिमाचल प्रदेश, (9) झारखंड, (10) कर्नाटक, (11) मिजोरम, (12) नगालैंड, (13) ओडिशा, (14) पंजाब, (15) राजस्थान, (16) सिक्किम, (17) तमिलनाडु, (18) त्रिपुरा, (19) उत्तर प्रदेश, (20) पश्चिम बंगाल, (21) लक्षद्वीप और (22) दमन एवं दीव।

4.11 केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 21 अगस्त, 2013 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि अंतर–मंत्रालयीन केंद्रीय टीमें (आई.एम.सी.टी.) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपने दौरों के दौरान एस.डी.एम.पी. और डी.डी.एम.पी. (जिला आपदा प्रबंधन योजनाएँ), दोनों की प्रास्थिति की जांच भी करेंगी और इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगी।

कार्यशालाएँ/बैठकें

4.12 एन.डी.एम.ए. वीडियों कॉफ्रेंसों, कार्यशालाओं/समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह भी दे रहा है और तैयारी उपायों तथा एस.डी.एम.पी. की तैयारी के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करता है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) एस.डी.एम.पी. और डी.डी.एम.पी. की प्रास्थिति की समीक्षा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.), नई दिल्ली में दिनांक 26.08.2013 को आयोजित राज्य सरकार के प्रधान सचिवों की एक कार्यशाला में की गई।

(ii) एन.डी.एम.ए. ने 2 से 5 सितंबर, 2013, 19 से 22, नवंबर, 2013 और 26 से 29 नवंबर, 2013 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भागीदारों को राज्यों की खतरा रूपरेखा के अनुसार एस.डी.एम.पी. तैयार करने और उनके अद्यतन कार्य के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान (जी.आई.डी.एम.) ने तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया।

एस.डी.एम.पी. और डी.डी.एम.पी. में पशुधन प्रबंधन का समावेशन

4.13 पशुधन (पशु–मवेशी) जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों की आजीविका का साधन है, आपदा पश्चात परिदृश्य में संक्रामक बीमारी के फैलने से प्रभावित होता है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या की आमदनी पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः पशुधन प्रबंधन आपदाओं के दौरान एक बड़ी चुनौती है और इसका एस.डी.एम.पी. और डी.डी.एम.पी. में समाधान किए जाने की जरूरत है। इसके परिप्रेक्ष्य में, एन.डी.एम.ए. द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एस.डी.एम.पी. और डी.डी.एम.पी. में पशुधन प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश– जैविक आपदाओं का प्रबंधन के अध्याय 6 में निहित प्रावधानों को समावेशित करने का अनुरोध किया गया था। 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों – (1) चंडीगढ़, (2) गुजरात, (3) हरियाणा, (4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, (5) मिजोरम, (6) राजस्थान तथा (7) सिक्किम ने इस पर कार्रवाई की। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी इस बारे में अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) चल रही है।

आपदा प्रबंधन पर संगत अधिनियमों/कानून/नियमों/विन्यिमों/अधिसूचनाओं का सारांश तैयार करना

4.14 एन.डी.एम.ए. पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (डब्ल्यू.बी.एन.यू.जे.एस.) के माध्यम से आपदा प्रबंधन पर संगत अधिनियमों/कानून/नियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं का सारांश तैयार करने की प्रक्रिया में रत है जो सभी आपदा प्रबंधकों मुख्यतः जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए एक अनुगणक (रेडी रेकनर) दस्तावेज के रूप में उपयोगी हो सकता है।

5 क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक तरीके पर हितधारकों की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन अभियान चलाना, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी.) आदि शामिल हैं। इसमें समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां और आपदाओं का कारगर निवारण तथा उनसे निपटने के लिए संसाधनों के आबंटन करना भी शामिल है।

5.2 क्षमता विकास के तरीके में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

- प्रादेशिक विविधता और बहु–संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, जिसमें राज्य और स्थानीय स्तर के प्राधिकारी कार्यान्वयन प्रभारी हों, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों की अवधारणा बनाना।
- बेहतर कार्य–निष्पादन के रिकॉर्ड वाले ज्ञान–आधारित संस्थानों की पहचान करना।
- अंतरराष्ट्रीय और प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक और संसार की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुरूपणों (सिमुलेशंस), मॉक ड्रिलों तथा कौशल विकास पर जोर देना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण।

ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के संबंध में क्षमता निर्माण

5.3 परिवहन (ट्रांसपोर्ट) एवं अन्य संबंधित आपदाओं के कारण अभिघात (ट्रॉमा), भारत में मृत्यु संख्या दर एवं अस्वस्थता दर के प्रमुख कारणों में से एक कारण है। अस्पताल पूर्व देखभाल, असल में, भारत में, अधिकांश ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में विद्यमान नहीं है और दुर्घटना में महत्वपूर्ण समय की अवधारणा (गोल्डन आवर कंसेप्ट) का क्रियान्वयन अभी एक अप्राप्त लक्ष्य है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रभावी उन्नत इन–हॉस्पिटल ट्रॉमा देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए मानव संसाधन (डॉक्टर्स एवं नर्स) तैयार करके देश में चोट/ट्रॉमा से संबंधित मृत्यु दर संख्या/अस्वस्थता दर को कम करने के उद्देश्य से भारत में उन्नत ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट (ए.टी.एल.एस.) के लिए क्षमता निर्माण पर जे.पी.एन. एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से एक प्रदर्शनात्मक परियोजना शुरू की है।

5.4 परियोजना में बिहार, असम और आन्ध्र प्रदेश से लगभग 117 विशेषज्ञों (डॉक्टर) एवं 229 स्वास्थ्य पेशेवरों को जुलाई, 2012 से मई, 2013 के दौरान कार्यान्वित प्रायोगिक चरण में प्रशिक्षित किया है। परियोजना में बताया गया है कि इसके अलावा राज्यों द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानीय स्तरों पर प्रशिक्षण भी संचालित किया जाएगा।

5.5 जे.पी.एन. एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से माह नवम्बर, 2013 में नई दिल्ली में ट्रॉमा देखभाल एवं प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कई राज्यों से प्रतिनिधित्व सहित पूरे भारत से मेडिकल एवं पैरामेडिकल समुदाय ने भाग लिया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट प्रक्रियाओं के संबंध में सुग्राहीकरण का निर्माण करना था और ट्रॉमा देखभाल एवं प्रबंधन पर महत्वपूर्ण कौशलों को प्रदर्शित करना था।

जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर (जे.पी.एन.ए.टी.सी.)

5.6 इस परियोजना का प्रारंभ में असुरक्षित तथा आपदा प्रवण राज्यों जैसे असम, बिहार और आंध्र प्रदेश में कारगर ट्रॉमा देखभाल उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन विकास तथा आपदा परिस्थिति की चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रॉमा जीवन सहायता के लिए प्रतिबद्ध तथा सुप्रशिक्षित डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स तैयार करने के लिए बनाया गया था। उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता तथा ग्रामीण ट्रॉमा टीम विकास कोर्स पर कुल 260 डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। 53 नर्सों ने उन्नत ट्रॉमा देखभाल नर्स कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। परियोजना की लागत 118.00 लाख रुपए है। परियोजना रिपोर्ट का प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है।

न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज (एम.आई.एस.पी.)–सकंट/आपदा परिस्थितियों में प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताओं का समाधान करना

5.7 प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं द्वारा पैदा किए खतरों विशेषतः सर्वाधिक वंचित तथा असुरक्षित समूहों जैसे महिला तथा बच्चों के बीच, खतरों की संवेदनशीलता को समझते हुए, एन.डी.एम.ए. ने भारत में संकटकालीन परिस्थितियों/आपातस्थितियों में प्रजनन स्वास्थ्य (आर.एच.) से जुड़े विषयों के समाधान के लिए प्रयास प्रारंभ किए हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू.एन.पी.एफ.) के सहयोग से एन.डी.एम.ए. राज्य तथा जिला स्तरीय स्वास्थ्य तथा आपदा प्रबंधन योजना प्रक्रिया में आपातस्थितियों के दौरान न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज (एम.आई.एस.पी.) की अवधारणा के समेकन के सबंध में कार्रवाई कर रहा है।

5.8 न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज (एम.आई.एस.पी.) का उद्देश्य मानवीय परिवेश में प्रजनन स्वास्थ्य/लैंगिक स्वास्थ्य जरूरतों से जुड़ी बीमारियों को रोकना और उनके इलाज के लिए कार्रवाई करने के लिए आपदा प्रबंधकों की क्षमताओं को बढ़ाना है। स्वास्थ्य तथा आपदा प्रबंधन योजनाओं में न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज (एम.आई.एस.पी.) को शामिल करने की प्रक्रिया बिहार तथा ओडिशा के दोनों राज्यों में नीति स्तरीय समर्थन संबंधित बैठकों और जिला स्तर पर ओरियंटेशनों के साथ शुरू कर दी गई है। गोवा पहला राज्य है जिसने अपनी स्वास्थ्य तथा आपदा प्रबंधन योजनाओं में न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज (एम.आई.एस.पी.) को शामिल किया है और यह आशा की जाती है कि तय अवधि में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज (एम.आई.एस.पी.) को जोड़ लेंगे। जून 2013 में आई बाढ़ तथा भूस्खलनों के बाद, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार अपने राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एन.डी.एम.ए. के तकनीकी सहयोग के साथ न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज (एम.आई.एस.पी.) पर बड़ा क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रहा है।

5.9 एन.डी.एम.ए. ने यू.एन.पी.एफ. इंडिया और स्फिअर इंडिया के सहयोग से भारत ने मानविकी क्षेत्र के लिए न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज (एम.आई.एस.पी.) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया जिसमें दिल्ली में अगस्त 2013 में प्रशिक्षण का पहला चरण, दक्षिण भारत के 4 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी) से गैर सरकारी संगठनों के लिए अक्टूबर 2013 में चेन्नई में प्रशिक्षण का दूसरा चरण और भारत के पूर्वी क्षेत्र ने गैर सरकारी संगठन के हितधारकों के लिए नवम्बर 2013 के आखिरी हफ्ते में कोलकाता में तीसरा चरण संचालित किया गया। न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज (एम.आई.एस.पी.) पर अब तक गैर सरकारी संगठन क्षेत्र से तकरीबन 90 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

स्कूल सुरक्षा पर क्षमता निर्माण

5.10 स्कूल सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देशों को एन.डी.एम.ए. द्वारा वर्तमान में तैयार किया जा रहा है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य बच्चों के लिए एक सुरक्षित शिक्षण वातावरण तैयार करने में मदद करना और शिक्षा की आपूर्ति की मौजूदा रूपरेखा के अंदर विभिन्न हितधारकों द्वारा स्कूल सुरक्षा के लिए किए जाने वाले विशेष कार्यों को प्रकाश में लाना है।

5.11 राजेन्द्र भवन, जम्मू विश्वविद्यालय में 15 और 16 नवंबर 2013 को जम्मू विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मंडल आयुक्त कार्यालय, जम्मू और अखिल भारतीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से स्कूल सुरक्षा और आपदा जोखिम न्यूनकरण पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। प्रशिक्षण को संचालित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता एन.डी.एम.ए. द्वारा प्रदान की गई। जम्मू प्रभाग के लगभग 200 स्कूलों से वरिष्ठ अध्यापकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) प्रायोगिक (पायलट) परियोजना

5.12 11 राज्यों में चिह्नित जिलों (54) में आपदा रोकथाम, तैयारी, प्रशमन, कार्रवाई तथा पुनर्बहाली के क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय आपदा

प्रबंधन प्राधिकरण–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) प्रायोगिक परियोजना को पूरा कर लिया गया। कुल मिलाकर, 16,200 भागीदारों की लक्षित संख्या 2.33 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली परियोजना जून, 2013 में पूरी हो गई। कुल मिलाकर, 16,200 भागीदारों के लक्ष्य के एवज में 16,479 भागीदारों ने आमने–सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफ.एफ.टी.पी.) में भाग लिया।

भूकंप से निपटने की तैयारी का अभियान–पूर्वोत्तर क्षेत्र

5.13 एन.डी.एम.ए. ने एक परियोजना शुरू की जिसमें एक बड़े भूकंप के असर को समझने और ऐसी किसी घटना के लिए सी.एस.आई.आर.–पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आई.एस.पी.), जोरहाट और अन्य संस्थानों के माध्यम से क्षमता निर्माण एवं बहु–राज्य तैयारी को सुकर बनाने के लिए सिक्किम सहित सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र की असुरक्षितता का आकलन करने हेतु एम 8.7 शिलांग 1897 भूकंप परिदृश्य को तैयार करने के संबंध में एक वैज्ञानिक अध्ययन परिकल्पित है। इस परियोजना को 6.2036 करोड़ रुपए की लागत पर 23 अक्तूबर, 2013 को स्वीकृति दी गई।

5.14 परियोजना में 1897 भूकंप के परिदृश्य निर्माण तथा अन्य कार्यकलापों जैसे रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग ट्रेनिंग, स्कूली छात्र सुग्राहीकरण कार्यशालाएं, जागरूकता सृजन, क्षमता विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों के साथ समन्वय करना शामिल है। इसकी परिणिति 10 और 13 मार्च 2014 को आठ पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम शामिल) में दो वृहत कृत्रिम अभ्यासों में हुई।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एल.बी.एस.एन.ए.ए.) में आपदा प्रबंधन केन्द्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.)/केन्द्रीय सेवा के क्षमता निर्माण हेतु प्रायोगिक (पायलट) परियोजना।

5.15 परियोजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अधिकारी, जिन्हें जिला कलक्टरों के रूप में तैनात किया जा सकता है, डी.एम. में न्यूनतम स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) संबंधी नीति विकल्पों के बारे में जागरूकता पर फोकस होगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने परियोजना को पूरा कर लिया है और आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों/मॉड्यूलों में भाग लेने वाले 1048 भागीदारों को दर्शाते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। परियोजना की लागत 83.00 लाख रुपए है।

शहरी आपातकालीन कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने की दिशा में : भारत में बड़े शहरों में आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास

5.16 भारत में बड़े शहर, शहरों को विशाल जनसंख्या के लिए जाना जाता है, जो प्रतिदिन प्राकृतिक एवं मानव–जनित जोखिमों की संभावित घटना की आशंका, जिसमें आतंकी हमले और आपातिक घटनाएं शामिल हैं, जो क्षण भर में लोगों को बर्बाद कर सकती हैं, में जीते हैं। कई दृष्टान्तों में आपातकालीन कार्रवाई मशीनरी, जटिल स्वरूप के खतरों तथा तैयारी एवं कार्रवाई पर क्षमताओं एवं मानक प्रचालन कार्रवाई की कमी के संबंध में इन घटनाओं के सुलझाने में, पूरी तरह सफल नहीं है।

5.17 समन्वय प्रणालियों के अभाव और उपयुक्त कार्रवाई क्षमताओं की कमी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपातकालीन प्रबंधन प्रक्रियाओं के मॉडल को क्रियान्वित करना शुरू किया, जो बड़ी दुर्घटना प्रबंधन और तैयारी पर विशेष ध्यान देने के साथ आपातकालीन/आपदा में शामिल उत्तरदायित्व क्षमता निर्माण एवं विविध हितधारकों के ग्रुप (आपातकालीन कार्रवाईकर्ता) के अंतः एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह भारतीय संदर्भ में अति सुसंगत है, जहां तीव्र गति के विकास और शहरीकरण ने ऐसी स्थिति पैदा की है जहां भारत में स्तर–1 और स्तर–2 के अधिकांश शहर आपदाओं/संकटों के सवंर्धित जोखिमों का सामना कर रहे हैं और इसमें इन शहरों को पर्याप्त रूप में उनके अनुरूप तैयार किए जाने की सख्त जरूरत है। उम्मीद है कि यह तरीका स्थानीय रूप से प्रचालित बहु–विषयक, आपातकालीन प्रबंधन कार्यकलापों की वहनीय प्रतिबद्धता सृजित करने का काम करेगा और समयोपरि एक वैधता–पूर्ण मॉडल बनेगा जिसे आसानी से दूसरे शहरों में पुनः प्रयोग किया जा सकता है। यह बाद में, तैयारी योजना पर आपातकालीन कार्रवाई करने वाले समुदाय, क्षमता निर्माण और सभी ई.एस.एफ. (आपातकालीन सहायता कार्य) की पद्धति तथा किसी भी बड़ी दुर्घटना के प्रबंधन हेतु एक समन्वित कार्रवाई शुरू करने के लिए शहर के सभ्य समाज संगठनों के बीच एक संरचित व्यवस्थापन प्रदान करेगा।

5.18 नवम्बर, 2012 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और असम राज्य द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित गुवाहाटी आपातकालीन प्रबंधन संबंधी अभ्यास के शिक्षण को आगे बढ़ाने के क्रम में, असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ए.एस.डी.एम.ए.) ने एन.डी.एम.ए. की तकनीकी निरीक्षण एवं सहायता से वर्तमान वर्ष में राज्य के 2 जिलों नामतः जोरहाट जिले में 8 से 12 अप्रैल, 2013 के बीच तथा सिलचर जिले

में 25 और 29 नवंबर, 2013 के बीच अभ्यास संचालित किए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने असम में इन 2 ई.एम. ईएक्स. के लिए शैक्षणिक ट्रैक, टेबल टॉप, फील्ड ड्रिल, मूल्यांकन और हॉट–वॉश के संचालन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान की।

5.19 बी.ई.एम.ईएक्स. (बंगलुरू आपात कालीन प्रबंधन अभयास) इनसेप्शन बैठक का दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 को विधानसौधा, बंगलुरू में आयोजन किया गया जिसमें डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य, एन.डी.एम.ए., मुख्य सचिव और कर्नाटक सरकार के अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया जिसमें बंगलुरू आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास के संचालन के लिए समय अवधि और संबंधित प्रक्रमों के संदर्भ में विचार–विमर्श किए गए।

सेना कार्मिकों और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण

5.20 सेना/सिविल डिफेंस प्राधिकारियों के अनुरोध पर नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन एन.डी.एम.ए. द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया गया है:–

क्रम सं.	स्थान	तिथि	कुल भागीदारी	फीडबैक
1.	डोगरा रेजिमेंट केंद्र, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)	फरवरी, 2013	800 सेना रंगरूट (रिक्रूट) और 200 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, 100 एन.सी.सी. कैडेट	बहुत अच्छा
2.	मद्रास रेजिमेंट केंद्र, नीलगिरि (तमिलनाडु)	अप्रैल, 2013	500 सेना रंगरूट और 200 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, 100 एन.सी.सी. कैडेट	बहुत अच्छा
3.	असम राइफल्स रेजिमेंट केंद्र, दीमापुर, नागालैंड	जून, 2013	1000 सेना रंगरूट और 100 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, 100 एन.सी.सी. कैडेट	बहुत अच्छा
4.	पंजाब रेजिमेंट केंद्र, रामगढ़ (झारखंड)	अगस्त/सितंबर, 2013	500 सेना रंगरूट और 100 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, 100 एन.सी.सी. कैडेट	बहुत अच्छा
5.	बिहार रेजिमेंट केंद्र (पटना छावनी)	सितंबर, 2013	400 सेना रंगरूट और 100 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, 50 एन.सी.सी. कैडेट	बहुत अच्छा
6.	असम, बिहार, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पूर्वोत्तर राज्यों में एन.सी.सी. कैंपों में नागरिक सुरक्षा एवं आपदा जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन किया गया	अप्रैल से अक्टूबर, 2013	5000 एन.सी.सी. कैडेट	बहुत अच्छा
	कुल भागीदारी		**93,500**	

6 कृत्रिम अभ्यास/कवायद एवं जागरूकता सृजन

प्रस्तावना

6.1 यह मानते हुए कि जागरूकता आपदा प्रबंधन और समुदाय तैयारी के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण का आधार है, एन.डी.एम.ए. ने इस संबंध में अनेक पहलें आरंभ की हैं। चालू कार्यक्रम के रूप में, कृत्रिम अभ्यास/कवायदें, जिला/उद्यम स्तरों पर जागरूकता सृजन, योजना बनाने तथा संसाधनों में मौजूद खामियों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। आपदा जोखिमों और असुरक्षितताओं के बारे में समुदाय को समझाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। जागरूकता सृजन पर ध्यान केंद्रित किए जाने के लिए साक्षात्कार लेख और प्रेस विज्ञप्तियां जारी किए जा रहे हैं। कृत्रिम अभ्यास अति महत्त्वपूर्ण पहलों में से एक पहल है जिसे एन.डी.एम.ए. ने प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं दोनों के लिए आपदा प्रबंधन की अपनी कारगरता की समीक्षा करने में राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को सुकर बनाने हेतु आरंभ किया है और जन जागरूकता सृजित करने के साथ कार्रवाई क्षमताओं का मूल्यांकन करना आरंभ किया है। ये अभ्यास राज्य सरकारों की सिफारिशों पर अति संवेदनशील (असुरक्षित) जिलों और उद्योगों में संचालित किए जाते हैं।

कृत्रिम अभ्यास

6.2 कृत्रिम अभ्यासों का उद्देश्य आपात कार्रवाई योजनाओं की पर्याप्तता तथा प्रभावोत्पादकता की जांच करना, प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर संबद्ध हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख करना, विभिन्न आपातकालीन सहायता कार्यों के प्रयासों के समन्वयन को वर्धित करना, तथा उन्हें सह–क्रियाशील बनाना, संसाधनों, जन शक्ति, उपस्कर, संचार और प्रणालियों में खामियों का पता लगाना है। यह अभ्यास आपदाओं का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए अति संवेदनशील समूहों को भी सशक्त बनाते हैं।

6.3 ये अभ्यास चरण–दर–चरण (स्टेप–बाई–स्टेप) तरीके को अपनाकर एक सुनियोजित और व्यापक रीति से आयोजित किए जाते हैं। प्रारंभिक चरण में, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को उजागर करने के लिए विषय–अनुकूलन एवं समन्वयन सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अगले चरण में, अनुकरण किए गए परिदृश्यों में हितधारकों की कार्रवाई जानने के लिए टेबल टॉप अभ्यास किए जाते हैं। संपूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र को कवर करने के लिए इन परिदृश्यों को निरूपित किया जाता है। इस चरण के अंत में, जो सबक निकलकर आते हैं वे सभी सहभागियों से साझा किए जाते हैं और सहभागियों को उनकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए काफी समय दिया जाता है तथा कृत्रिम अभ्यास के वास्तविक संचालन से पहले उनके अधीनस्थों को प्रशिक्षित किया जाता है। अभ्यास परिकल्पित परिदृश्य पर किया जाता है तथा विभिन्न सहभागियों की कार्रवाई को ध्यान में रखकर वह उत्तरोत्तर बढ़ता है। उस अभ्यास को मॉनीटर करने के लिए अनेक प्रेक्षकों को भी रखा जाता है तथा सहभागियों के अलावा, समाज से आए दर्शकों और हितधारकों को भी कृत्रिम अभ्यास देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कृत्रिम अभ्यास के बाद विस्तृत जानकारी दी जाती है जिसमें प्रेक्षकों से अपना फीडबैक देने के लिए कहा जाता है। इन अभ्यासों में पाई गई कमियों के बारे में राज्य और जिला प्रशासन को और विभिन्न उद्योगों के प्रबंधन वर्ग को भी संसूचित किया जाता है।

6.4 जमीनी स्तर पर तैयारी की संस्कृति पैदा करने में कृत्रिम अभ्यास बड़ा सहायक रहा है। इनमें से अधिकांश अभ्यासों में समुदाय और छात्रों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया है। जिला प्रशासन, निगमित सेक्टर और अन्य प्रथम प्रतिक्रियादाताओं ने अपार उत्साह दर्शाया है। इन अधिकांश अभ्यासों में निर्वाचित जन प्रतिनिधि और राज्य के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारीजन उपस्थित रहे। इन अभ्यासों का स्थानीय प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया ने भी जमकर प्रचार किया और इस प्रकार उन्होंने लोगों की बड़ी संख्या में जागरूकता सृजन का काम किया।

जागरूकता अभियान

6.5 आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने अपने प्रयास में जनसंपर्क एवं जागरूकता सृजन (पी.आर एंड ए.जी.) प्रभाग ने इलेक्टॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों की शुरूआत की। इस अभियान का फोकस लक्षित श्रोताओं (जनता) पर असर डालकर आपदा प्रबंधन हेतु उचित वातावरण तैयार करने पर है। ये जागरूकता अभियान विभिन्न संचार माध्यमों जैसे दूरदर्शन (टी.वी.), रेडियो, प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनी आदि के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन जागरूकता अभियानों को दो निम्नलिखित प्रधान उद्देश्यों के साथ जनता के बीच जागरूकता फैलाने पर केंद्रित किया गया है:

क) किसी भी आसन्न आपदा से निपटने के लिए भूकंप, चक्रवात बाढ़, भूस्खलन आदि। देश के नागरिकों को तैयार करना।

ख) एन.डी.एम.ए. के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में जागरूकता फैलाना।

6.6 वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान शुरू किए गए।

श्रव्य–दृश्य (ऑडियो–विजुअल) अभियान

6.7 भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़, चक्रवात जैसी राष्ट्रीय आपदाओं पर ऑडियों–वीडियो स्पॉट तैयार किए गए और उन्हें दूरदर्शन (दूरदर्शन का राष्ट्रीय नेटवर्क और प्रादेशिक केंद्र), निजी टी.वी. चैनलों (राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक), लोक सभा टी.वी., डिजिटल सिनेमा, आकाशवाणी (रेडियो), एफ.एम. रेडियो चैनलों पर प्रसारित किया गया।

6.8 यदि तीव्रता 8 अथवा उससे अधिक तीव्रता वाला कोई भूकंप आए तो उस दौरान किए जाने वाले कार्यकलापों पर भूकंप परिदृश्य अनुरूपण अभ्यास की श्रृंखला में, एनडीएमए ने मार्च, 2014 के दौरान पूर्वोत्तर बहु–राज्यीय तैयारी अभियान जिसे वृहत कृत्रिम अभ्यास के रूप में जाना जाता है के लिए शिलांग, 1897 भूकंप के दोहराव के लिए एन.डी.एम.ए. ने एक अभ्यास किया। इस वृहत कृत्रिम अभ्यास का संचालन पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में संचालन किया गया जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम, के 16 शहरों और 80 से अधिक स्थानों को कवर किया गया था। इस अभियान के लिए, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से विशेष जागरूकता अभियान चलाए गए। 5 ऑडियो–वीडियो स्पॉटों को 5 भाषाओं नामतः खासी, गारो, नेपाली, मिजो, मणिपुरी में डब किया गया और स्पॉटों का 8 भाषाओं नामतः खासी, गारो, नेपाली, मिजो, मणिपुरी, असमी, हिंदी और बांग्ला में दूरदर्शन के 8 पूर्वोत्तर केंद्रों और 27 स्थानीय रेडियो स्टेशनों के माध्यम से प्रसारण किया गया।

प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान

6.9 विभिन्न अखबारों में विज्ञापनों को जारी करके जागरूकता सृजन हेतु प्रिंट मीडिया का भी उपयोग किया गया था। प्रमुख अखबारों (उत्तर प्रदेश) में जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के सुग्राहीकरण हेतु, आपदाओं में लैंगिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य हेतु न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज और एनडीएमए के 9वें स्थापना दिवस के अवसर पर विज्ञापन जारी किए गए। क्षेत्र में कम दाब के बनने की सूचना की प्राप्ति पर पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चक्रवात जागरूकता पर विज्ञापन दिए गए।

6.10 मार्च, 2014 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में वृहत कृत्रिम अभ्यास के लिए, 8 सृजनात्मक संदेशों को तैयार किया गया और उन्हें मुद्रित कराया गया और अभ्यास के दौरान तथा पूर्व प्रदर्शन हेतु सभी 8 राज्यों को दिया गया।

6.11 स्कूली छात्रों में विभिन्न आपदाओं के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु 20 हजार पोस्टरों को तैयार किया गया और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकरणों को वितरित किया गया जिनमें पूर्वोत्तर के लिए स्कूलों के बीच वितरण कराना शामिल था, तथा उन्हें भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभिन्न विभागों, जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर, मुख्य सचिवों, तथा सभी राज्यों के राहत आयुक्तों तथा प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आई.आई.एम, आई.आई.टी., ए.टी.आई.एस., यू.एन.डी.पी. तथा यूनिसेफ आदि नामक अनेक अन्य संगठनों को भी प्रचालित किया गया। इसी प्रकार, विभिन्न आपदाओं के बारे में तैयारी को दर्शाने वाले कार्यालय हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए 5 हजार टेबल–टॉप जागरूकता सामग्री को तैयार किया गया और उन्हें भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों, उपर्युक्त सभी राज्य प्राधिकरणों और अनेक संगठनों तथा संस्थानों के कार्यालयों को परिचालित किया गया।

6.12 भूकंप प्रवण राज्यों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में भूकंप आपदा प्रबंधन पर 60 लाख अंतर्देशी पत्र कार्ड मुद्रित किए गए।

33वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एन.डी.एम.ए. की भागीदारी

6.13 आम जनता, छात्रों तथा विभिन्न हितधारकों के बीच

आपदाओं की विभिन्न किस्मों के प्रबंधन के बारे में जागरूकता लाने के लिए 14 से 27 नवंबर, 2013 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 33वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई.आई.टी.एफ.), 2013 में एन.डी.एम.ए. ने भाग लिया।

6.14 प्राधिकरण ने अपने तीन संगठनों–एन.डी.एम.ए., एन.डी.आर.एफ., एन.आई.डी.एम. जो आपदा प्रबंधन के काम में लगे हैं, के कार्यकलापों के बारे में जागरूकता सृजन हेतु फूलबाड़ी कन्वेन्शन सेंटर, आई.आई.टी.एफ. में एक रोचक सूचना पवेलियन लगाया। श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने 14 नवंबर, 2013 को एन.डी.एम.ए. पवेलियन का उद्घाटन किया। एन.डी.एम.ए. ने लगातार ऑडियो–विजुअल प्रस्तुति के अलावा आपदा की विभिन्न किस्मों के प्रबंधन पर मेले में आने वाले दर्शकों के लिए आपदा प्रबंधन पर सामग्री (बोर्डों/पोस्टरों आदि) का वितरण भी किया गया। बच्चों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए पवेलियन में चिल्ड्रन टच पैनल क्योस्क लगाए गए जिनमें बच्चों के लिए विभिन्न आपदाओं पर सूचना उपलब्ध कराई गई। आई.आई.टी.एफ. के विभिन्न कार्यक्रमों नामतः प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ए.एस.एम. स्कूल, नई दिल्ली द्वारा नुक्कड़–नाटक और डॉग–शो का आयोजन भी एन.डी.एम.ए. द्वारा किया गया।

6.15 इसके अलावा, एन.डी.आर.एफ. की क्षमताओं के बारे में समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने और आपदा प्रबंधन के विषयों पर जनता के सुग्राहीकरण और उनके बीच ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा के बारे में हौसला उत्पन्न करने के लिए हंसध्वनि ओपन थियेटर में 18 नवंबर, 2013 को भूकंप आपदा पर सजीव प्रदर्शन का संचालन किया गया।

6.16 दो हजार से ज्यादा स्कूली बच्चों और अर्द्ध–सैनिक बलों, दिल्ली पुलिस के कार्मिकों, नागरिक संगठन तथा आम जनता ने प्रदर्शन में भाग लिया। सजीव प्रदर्शन से पहले एन.डी.आर.एफ. द्वारा डॉग–शो का आयोजन किया गया। हिंदी में भूकंप पर पुस्तिका तथा हिंदी तथा अंग्रेजी में शहरी बाढ़ आपदा पर पुस्तिका का एन.डी.एम.ए. के स्टाल पर जनता में वितरण किया गया।

7 आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)

7.1 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) विश्व बैंक की सहायता से देश में चक्रवात जोखिमों का निवारण करने की दृष्टि से बनाई गई है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक चक्रवात प्रशमन प्रयासों को सुदृढ़ बनाना, चक्रवात वाले तटीय जिलों में चक्रवात जोखिम और असुरक्षितता को कम करना तथा उनमें चक्रवात जोखिम प्रशमन की क्षमताओं को विकसित करना है।

उद्देश्य

7.2 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) का उद्देश्य तटीय समुदायों की चक्रवात और अन्य जलविज्ञानी खतरों (हाइड्रो मीटिरियोलॉजिकल) खतरों से असुरक्षितता को कम करना है–

- सर्वत्र संपर्कता (लास्ट माइल कनेक्टिविटी) वाली एक उन्नत पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली तैयार करना।
- चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना – एम.पी.सी.एस., सुरक्षित निकासी मार्ग तथा पुल और लवणीय तटबंध (सेलाइन एम्बैंकमेंट्स) के निर्माण के माध्यम से चक्रवात प्रवण तटीय जिलों में चक्रवात जोखिम और असुरक्षितता को कम करना।
- आपदा से निपटने के लिए चक्रवात जोखिम प्रशमन के लिए सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों और समुदायों की क्षमता और समर्थताओं को तैयार करना।
- संपूर्ण विकासात्मक अजेंडा में जोखिम प्रशमन उपायों को मुख्य स्थान देने के लिए केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर डी.आर.एम. क्षमता को मजबूत करना।

परियोजना घटक

7.3 नीचे दी गई सारणी के अनुसार परियोजना के चार घटक हैं :

घटक	परियोजना विवरण	पूंजी (करोड़ रुपए)
घटक क	पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.): प्रणाली के प्रचालन हेतु समुदाय के क्षमता निर्माण सहित तटीय समुदायों को पूर्व चेतावनी प्रसारित करना।	72.75
घटक ख	चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना। – बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र। – सुरक्षित निकास मार्ग और सड़कें। – लवणीय तटबंध (सेलाइन एम्बैंकमेंट्स)।	1164
घटक ग	चक्रवात संकट जोखिम प्रशमन, क्षमता, निर्माण और ज्ञान सृजन हेतु तकनीकी सहायता	29.10
घटक घ	परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता	95.06
	समग्र लागत के 10 प्रतिशत की दर से अनावंटित आकस्मिकता निधि	135.80
	योग	**1496.71**

7.4 घटक क, ग और घ को केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्व बैंक सहायता के जरिए पूर्णतः वित्तपोषित किया जाएगा। घटक–ख को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्तपोषित किया जाएगा।

उपलब्धियां

7.5 एन.सी.आर.एम.पी.–I के तहत 2013–2014 के दौरान रहीं उपलब्धियों की चर्चा निम्नानुसार की गई है :

घटक क : पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली

7.6 दिनांक 9 जनवरी, 2014 को अध्ययन को करने का ठेका मैसर्स टी.सी.आई.एल., भारत सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को दिया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट और मसौदा तकनीकी डिजाइन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और समीक्षाधीन हैं।

घटक ख : चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना

7.7 परियोजना के इस घटक में चक्रवात जोखिम प्रशमन प्रयास के लिए अवसंरचना विकास शामिल है।

निर्माण कार्यों का सौपा जाना (अवार्ड ऑफ वर्क्स) :

7.8 दिनांक 31.03.2014 को समाप्त तिमाही के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए निर्माण कार्य को सौपे जाने की स्थिति निम्नानुसार है:

आंध्र प्रदेश:

निर्माण कार्यों को सौपे जाने की स्थितिः

क्रम संख्या	घटक	सौंपे जाने वाले अपेक्षित कार्यों का विवरण और लागत		31.03.2014 तक सौंपे गए कुल कार्यों का विवरण और लागत		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार लंबित	
		पैकेज (कार्य)	लागत (करोड़ रु.)	पैकेज (कार्य)	लागत (करोड़ रु.)	पैकेज (कार्य)	लागत (करोड़ रु.)
1.	बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र	80 (138)	156.05	69(119)	134.09	11 (19)	21.96
2.	आबादी को जोड़ने वाली सड़कें	73 (165)	86.72	73(165)	86.72	0	0.00
3.	आश्रय–केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कें	105(231)	185.20	105 (231)	185.20	0	0.00
4.	पुलों का निर्माण	23 (23)	140.00	22 (22)	77.00	1 (1)	63.00
5.	लवणीय तटबंध	2 (2)	74.74	1 (1)	33.94	1 (1)	40.80
	योग	**283 (559)**	**642.71**	**270 (538)**	**516.95**	**13 (21)**	**125.76**

7.9 21.96 करोड़ रुपए के एम.पी.सी.एस. संबंधित 19 निर्माण कार्यों के 11 पैकेजों, 63 करोड़ रुपए के एक पुल का निर्माण कार्य और 40.8 करोड़ रुपए के एक लवणीय तटबंध को बनाने का काम अभी दिया जाना (अवार्ड करना) बाकी है।

भौतिक उपलब्धियाँ

क्रम संख्या	घटक	2013–14 के लिए लक्ष्य	31.03.2014 तक की उपलब्धियां
		भौतिक (निर्माण कार्य)	भौतिक (निर्माण कार्य)
1.	एम.पी.सी.एस. का निर्माण	39	13
2.	सड़कों का निर्माण	212 (310 कि.मी.)	217 (326.58 कि.मी.)
3.	पुलों का निर्माण	8	11
4.	लवणीय तटबंध	1	–
	योग	**260**	**241**

7.10 तेरह एम.पी.सी.एस. का काम पूर्णता के विभिन्न चरणों की समाप्ति के साथ पूरा हो गया है। 217 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था जिनमें से 212 सड़कों का काम पूरा हो गया है। 11 पुलों को बनाने का लक्ष्य रखा गया था जिनमें से 8 पुलों का काम पूरा हो गया है। इस प्रकार, 31.03.2014 तक लक्षित 260 निर्माण कार्यों में से 241 कार्यों को पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं।

विशाखापट्टनम में रतनयमपेटा चक्रवात आश्रय–केंद्र (टाइप–बी)

एन.सी.आर.एम.पी के अंतर्गत निर्मित पश्चिमी गोदावरी, जिला, आंध्र प्रदेश में कोथाकायलाटिप्पा की आबादी तक सड़क

गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में बापटला सूर्यलंका सड़क के कि.मी. 5/2 में पुल

गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में बापटला पांडुरंगपुरम सड़क के कि.मी. 2/4 में पुल

ओडिशा:

निर्माण कार्यों का सौपे जाने की स्थिति:

क्र. सं.	घटक	सौंपे जाने वाले अपेक्षित कार्यों का विवरण और लागत		31.03.2014 तक सौंपे गए कुल कार्यों का विवरण और लागत		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार लंबित	
		पैकेज (कार्य)	लागत (करोड़ रु.)	पैकेज (कार्य)	लागत (करोड़ रु.)	पैकेज (कार्य)	लागत (करोड़ रु.)
1.	बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र	150(155)	172.10	149(154)	172.10	–	–
2.	आबादी को जोड़ने वाली सड़कें	69 (134)	170.18	69(134)	170.18	–	–
3.	लवणीय तटबंध	12(12)	183.68	12(12)	183.68	–	–
	योग	**231(301)**	**525.96**	**230(300)**	**525.96**	**–**	**–**

ओ.एस.डी.एम.ए. ने 31.03.2014 तक के सभी निर्माण कार्यों का काम सौंप दिया है।

भौतिक उपलब्धियाँ

क्रम संख्या	घटक	2013–14 के लिए लक्ष्य	31.03.2014 तक की उपलब्धियां
		भौतिक (निर्माण कार्य)	भौतिक (निर्माण कार्य)
1.	एम.पी.सी.एस. का निर्माण	67	60
2.	सड़कों का निर्माण	132 (176 कि.मी.)	45 (75.23 कि.मी.)
3.	लवणीय तटबंध	10	–
	योग	**209**	**105**

7.11 लक्ष्य पर रखे गए 67 एम.पी.सी.एस. में से साठ (60) एम.पी.सी.एस. का काम वर्ष 2013–14 के दौरान पूरा कर लिया गया और शेष एम.पी.सी.एस. पूर्णता के विभिन्न चरणों में है। 132 सड़क बनाने के कार्यों के लक्ष्य में से 45 को पूरा कर लिया गया है और शेष शीघ्र पूर्णता के लिए निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार लक्ष्य पर रखे 209 निर्माण कार्यों में से 105 कार्य 31.03.2014 तक पूरे किए जा चुके हैं और शेष पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं। दोनों राज्य शीघ्र पूर्णता के लिए निर्माण कार्यों को तेज करने के लिए संयुक्त रूप से एकजुट हो गए हैं।

बाजरा कोटा, ओडिशा में बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र

नच्छीपुर, भद्रक जिला, ओडिशा में सीमेंट कंकरीट (सीसी) सड़क

ढलाव संरक्षण (स्लोप प्रोटेक्शन) के लिए पत्थरों की ढाल बनाने (स्टोन पिचिंग) का कार्य प्रगति पर, ओडिशा

केतनजंघा, ओडिशा में लवणीय तटबंध

घटक ग

7.12 इस घटक के अंतर्गत किए जा रहे अध्ययन के लिए कार्यान्वयन प्रास्थिति निम्नानुसार है:

13 तटवर्तीय राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए चक्रवात खतरा, असुरक्षितता और जोखिम आकलन हेतु परामर्शी सेवाएँ

7.13 आर.एम.एस.आई. प्राइवेट लिमिटिड, एक परामर्शी फर्म को इस काम के लिए चुना गया है। 07.08.2013 के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट, आंकड़ा समीक्षा रिपोर्ट और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और विशेष विवरण की रिपोर्ट के लिए पहले 3 डेलिवरेबल प्राप्त कर लिए गए हैं। 42 लाख रुपए की एक राशि को वर्ष 2013–14 को दौरान उपर्युक्त कार्यकलापों को करने के लिए खर्च किया गया है।

एन.आई.डी.एम. द्वारा एन.सी.आर.एम.पी. के अंतर्गत भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु लंबी अवधि का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण रणनीति तैयार करना

7.14 सीड्स, एक परामर्शी फर्म को इस काम के लिए चुना गया है। एन.आई.डी.एम. और सीड्स तकनीकी सेवाओं के बीच 30, जुलाई, 2012 को परियोजना अनुबंध प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तकनीकी समिति में डेलिवरेबल को मंजूर कर दिया है। शेष सभी डेलिवरेबल को प्राप्त कर लिया गया है और वह छानबीन (स्क्रूटनी) के अंतर्गत है। इस अध्ययन के लिए 2013–14 के दौरान 55 लाख रुपए की एक राशि खर्च की गई है।

एन.आई.डी.एम. द्वारा आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन अध्ययन

7.15 15 जनवरी, 2014 को मैसर्स ए.डी.पी.सी., थाइलैंड को ठेका दिया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। 31.03.2014 तक इस अध्ययन पर कोई राशि खर्च नहीं की गई।

घटक घ

लाभ मॉनीटरिंग अध्ययन

7.16 लाभ मॉनीटरिंग अध्ययन: जी.एफ.के. मोड प्राइवेट लिमिटेड, एक परामर्शी फर्म को 12 सितबंर, 2013 को चुना गया है। प्रारंभिक, बेस लाइन डाटा और प्रायोगिक अध्ययन रिपोर्ट समीक्षा/अनुमोदन की प्रक्रिया के अंतर्गत है। इस अध्ययन के अंतर्गत 3.5 लाख रुपए की एक राशि को 31.03.2014 तक खर्च किया गया है।

वित्तीय प्रबंधन :

7.17 वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 31.03.2014 तक बजट आवंटन और विभिन्न यूनिटों/संगठनों के व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :

राज्य/संगठन	वर्ष 2013–14 के दौरान आवंटित बजट (करोड़ रुपए में)			वर्ष 2012–13 से अग्रेनीत बजट (करोड़ रुपए में)			वर्ष 2013–14 के लिए कुल बजट (करोड़ रुपए में)		
	भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	योग	भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	योग	भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	योग
आंध्र प्रदेश (ए.पी.)	125.15	41.14	166.29	33.63	–0.07	33.56	158.78	41.07	199.85
ओ.एस.डी.एम.ए.	95.42	35.00	129.42	32.78	20.12	52.90	127.20	55.12	182.32
पी.एम.यू.	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56
एन.आई.डी.एम.	0.61	0.00	0.61	0.17	0.00	0.17	0.78	0.00	0.78
योग	**221.74**	**76.14**	**297.88**	**66.58**	**20.05**	**86.63**	**288.32**	**96.19**	**384.51**

7.18 31.03.2014 तक वर्ष 2013–14 के लिए बजट के उपयोग की स्थिति निम्नानुसार है :

राज्य/संगठन	वर्ष 2013–14 के लिए कुल बजट (करोड़ रुपए में)			31.03.2014 तक प्रयुक्त बजट (करोड़ रुपए में)			वर्ष 2013–14 के दौरान उपयोग के लिए लंबित बजट (करोड़ रुपए में)		
	भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	योग	भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	योग	भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	योग
आंध्र प्रदेश (ए.पी.)	158.78	41.07	199.85	123.90	38.48	162.38	34.88	2.59	37.47
ओ.एस.डी.एम.ए.	127.20	55.12	182.32	125.08	39.39	164.47	2.12	15.73	17.85
पी.एम.यू.	1.56	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
एन.आई.डी.एम.	0.78	0.00	0.78	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
योग	**288.32**	**96.19**	**384.51**	**251.26**	**77.87**	**329.13**	**37.06**	**18.32**	**55.38**

7.19 वित्त वर्ष 2013–14 के लिए बजट का उपयोग लगभग 86 प्रतिशत है।

बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र प्रबंधन समिति (एम.पी.सी.एस.एम.सी.) को एम.पी.सी.एस. सौंपने की स्थिति

7.20 आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने क्रमशः 138 और 141 एम.पी.सी.एस.एम.सी. गठित की हैं। आंध्र प्रदेश में 13 में से 2 एम.पी.सी.एस. पूरे हो गए हैं और उन्हें एम.पी.सी.एस.एम.सी. को सौप दिया गया है। ओ.एस.डी.एम.ए. ने 31.03.2014 तक एम.पी.सी.एस.एम.सी. को 60 में से 29 एम.पी.सी.एस. तैयार करके सौप दिए हैं।

संवितरण

7.21 विश्व बैंक से सहमति मिलने के बाद परियोजना द्वारा मार्च, 2014 तक संवितरण हेतु 660.09 करोड़ रुपए का एक दावा (372.94 करोड़ रुपए वास्तविक व्यय के रूप में और 233.15 करोड़ रुपए अग्रिम के रूप में) सी.ए.ए. एंड ए. के पास दर्ज किया गया है। तथापि, 31.03.2014 तक 414.77 करोड़ रुपए का वास्तविक संवितरण जारी किया गया है।

राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.), का अतिरिक्त वित्तपोषण

7.22 राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना चरण–1 के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तपोषण को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के असुरक्षित तटीय राज्यों में चक्रवात जोखिम प्रशमन आधारढांचा की जरूरत के प्रति और अधिक सचेत होते हुए आपदा की तैयारी की अतिरिक्त खर्चा देने के लिए मांगा जा रहा है। राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना–1 के अंतर्गत खड़े किए गए आधारढांचे का चक्रवात पैलिन के पहले, दौरान और बाद में उपयोग किया गया जो लोगों के समय पर सुरक्षित बाहर निकाले जाने और उन्हें एन.पी.सी.एस. में शरण देने, और निर्मित किए गए सुरक्षित निकास हेतु तैयार सड़कों तथा पुलों के माध्यम से बाहर निकालने में सहायक हुए जिससे मौतों की संख्या न्यूनतम हो गई। इस प्रस्तावित अतिरिक्त वित्तपोषण में वर्तमान एन.सी.आर.एम.पी. में चल रहे वितरण अनुपात की तर्ज पर घटक ख के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा 30.52 मिलियन अमरीकी डॉलर (189.50 करोड़ रुपए) के 25 प्रतिशत अंशदान और विश्व बैंक से 104.08 मिलियन डॉलर (645.50 करोड़ रुपए) का एक ऋण शामिल होगा। इसका ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:–

क्र. सं.	घटक	राज्य	अतिरिक्त वित्तपोषण (करोड़ रुपए)			अतिरिक्त वित्तपोषण ('मिलियन अमरीकी डॉलर)		
			आई.डी.ए. ऋण	राज्य का अंशदान	योग	आई.डी.ए. ऋण	राज्य का अंशदान	योग
1.	ख	आंध्र प्रदेश	268.0	89.5	357.5	43.2	14.4	57.60
		ओडिशा	300.0	100	400	48.38	16.12	64.50
		योग	**568.0**	**189.5**	**757.50**	**91.58**	**30.52**	**122.10**
2.	घ	आंध्र प्रदेश	37.5	–	37.5	6.05	–	6.05
		ओडिशा	40.0	–	40.0	6.45	–	6.45
		योग	**77.5**	**–**	**77.50**	**12.5**	**–**	**12.50**
कुल योग			**645.50**	**189.5**	**835.00**	**104.08**	**30.52**	**134.60**

*1 मिलियन अमरीकी डॉलर 62 रु के समतुल्य है

7.23 राज्यों के लिए "अतिरिक्त वित्तपोषण" में प्रस्तावित घटक ख के अंतर्गत चक्रवात जोखिम प्रशमन आधारढांचा और घटक घ के अंतर्गत कार्यान्वयन सहयोग का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

आंध्र प्रदेश

क्र. सं.	घटक	सेक्टर	निर्माण कार्यों की संख्या	कि.मी. में लंबाई	राशि (रुपयों में)
1.	घटक ख	बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र	84	–	126.00
		चक्रवात आश्रय–केंद्रों तक सड़कें	75	119.79	75.50
		सडकों को जोड़ने वाले पुल	15	33.56	156.00
योग			**74**	**153.35**	**357.50**
2.	घटक घ	कार्यान्वयन सहायता	–	–	35.50
कुल योग			**174**	**153.35**	**393.00**

ओडिशा

क्र. सं.	घटक	सेक्टर	निर्माण कार्यों की संख्या	कि.मी. में लंबाई	राशि (रुपयों में)
1.	घटक ख	बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र	162	–	240
		चक्रवात आश्रय–केंद्रों तक सड़कें	100	85	160
		सड़कों को जोड़ने वाले पुल	–	–	–
योग			**262**	**85**	**400**
2.	घटक घ	कार्यान्वयन सहायता	–	–	40
कुल योग			**262**	**85**	**440**

7.24 विश्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग और संबंधित राज्यों के बीच एन.सी.आर.एम.पी. के अतिरिक्त वित्तपोषण के बारे में बातचीत का आयोजन किया गया। इसके लिए ई.एफ.सी. गृह मंत्रालय के अंतर्गत सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

एन.सी.आर.एम.पी. चरण–II

7.25 एन.सी.आर.एम.पी. चरण–II में पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल को शामिल किया गया है। दिनांक 6 अगस्त, 2013 को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विश्व बैंक के सामने प्रस्ताव रखा गया है। 319 मिलियन अमरीकी डॉलर की कुल परियोजना लागत में से 250 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता राशि विश्व बैंक से मिलेगी। वर्तमान में, विश्व बैंक परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए परियोजना का मूल्यांकन कार्य कर रहा है।

अन्य परियोजनाएं

7.26 प्रशमन प्रभाग ने विविध विषयों पर प्रायोगिक परियोजनाएं और अध्ययन का काम हाथ में लिया है जिनमें प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों के माध्यम से बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, चिकित्सा तैयारी, रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय आपदाओं आदि समेत प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं को कवर किया जाएगा। एन.डी.एम.ए. द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाएं/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (तैयारी चरण)

7.27 राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी.) (तैयारी चरण) को 24.87 करोड़ रुपए के एक परिव्यय के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित आयोजना स्कीम के रूप में अनुमोदित किया गया है जिसे दो वर्षों (2013–15) की अवधि के भीतर लागू किया जाना है। इस स्कीम को संशोधित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी.) (तैयारी चरण) के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं।

i) प्रौद्योगिकीय–विधिक प्रणाली जिसमें संबंधित राज्यों/शहरों को अपनाना, प्रवर्तन और अद्यतन करना शामिल है।

ii) संस्थागत सुदृढ़ीकरण जिसमें कॉलेजों और संस्थानों में शिक्षा और अनुसंधान का क्षमता निर्माण शामिल है।

iii) कार्यरत शिल्पकारों, इंजीनियरों और राज–मिस्त्रियों का भूकंपरोधी निर्माण तकनीकों में क्षमता निर्माण करना।

iv) राष्ट्रीय स्तर पर और सभी असुरक्षित राज्यों में जन जागरूकता और सुग्राहीकरण।

7.28 परियोजना 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जो देश में भूकंपीय क्षेत्र IV और V में पड़ते हैं, के 25 शहरों में लागू होगी। परियोजना के अनुमानित परिणाम निम्नलिखित हैं:–

i) मॉडल भवन निर्माण उप–नियम और भूकंपरोधी निर्माण तथा योजना मानकों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रमुख हितधारकों की बढ़ी हुई जागरूकता।

ii) भूकंपीय क्षेत्र IV और V में पड़ने वाले सभी लक्षित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शहर तथा राज्य स्तरों पर मॉडल भवन निर्माण उप–नियमों को अपनाने हेतु कहना।

iii) प्राथमिक क्षेत्र में एन.बी.सी. 2005 को उपलब्ध कराने हेतु कहना।

iv) पुनःमरम्मत दिशानिर्देशों का विकास।

v) भूकंपरोधी निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देना।

vi) परियोजना के प्रयासों को जारी रखने के लिए राज्य/शहर स्तर पर क्षमता निर्माण।

vii) 210 संकाय सदस्यों/अध्यापकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

vii) 450 प्रशिक्षकों का एक सप्ताह की अवधि वाला ओरिएंटेशन कार्यक्रम।

ix) लक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 750 सिविल इंजीनियरों, 150 शिल्पकारों और 1500 राज–मिस्त्रियों का क्षमता निर्माण।

x) भागीदार संस्थानों (विशेष रूप से जिला–स्तर के आईटीआई/पॉलीटेक्निक) की सुविधाओं को पुख्ता बनाना।

xi) लक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूकंप के प्रति संकेंद्रित (फोकस्ड) जागरूकता अभियान।

7.29 राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (तैयारी चरण) के अंतर्गत शामिल शहरों/जिलों की राज्यवार सूची:–

क्र. सं.	राज्य	जिला	शहर	आबादी (2011 की जनगणना)	भूकंपीय क्षेत्र
1.	अंडमान	उत्तरी एवं मध्य अंडमान	पोर्ट ब्लेयर	105539	V
2.	अरुणाचल प्रदेश	पमपारे	ईटानगर	176385	V
3.	असम	कामरूप महानगर	गुवाहाटी	1260419	V
4.	बिहार	पटना	पटना	5772804	IV
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़	1054686	IV
6.	दिल्ली	एन.सी.टी. दिल्ली	दिल्ली	16753235	IV
7.	गुजरात	राजकोट	राजकोट	3799770	IV
8.	हरियाणा	फरीदाबाद	फरीदाबाद	1798954	IV
9.	हरियाणा	गुड़गांव	गुड़गांव	1514085	IV
10.	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	श्रीनगर	1269751	V
11.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	जम्मू	1526406	IV
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	शिमला	813384	IV
13.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	9426959	IV
14.	मेघालय	पूर्वी खासी पहाड़ी	शिलांग	824059	V
15.	मिजोरम	आईजॉल	आईजॉल	404054	V
16.	नागालैंड	कोहिमा	कोहिमा	270063	V
17.	मणिपुर	पूर्वी और पश्चिमी इंफाल	इंफाल	967344	V
18.	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	3487882	IV
19.	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम	गंगटोक	281293	IV
20.	त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा	अगरतला	1724619	I
21.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	गाजियाबाद	4661452	IV
22.	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नौएडा	1674714	IV
23.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर	4436275	IV
24.	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून	1698560	IV
25.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता	4486679	III
योग				**70189371**	

भूस्खलन जोखिम प्रशमन स्कीम (एल.आर.एम.एस.)

7.30 भूस्खलन जोखिम प्रशमन स्कीम (एल.आर.एम.एस.) राज्यों द्वारा सिफारिश किए गए स्थल–विशिष्ट भूस्खलन प्रशमन प्रस्तावों का अग्रणी संस्थानों से स्थल–विशिष्ट भूस्खलन अध्ययनों/जांचों के लिए वित्तीय सहायता परिकल्पित करती है इसके अंतर्गत आपदा रोकथाम रणनीति, आपदा प्रशमन और संवेदनशील भूस्खलनों की मॉनीटरिंग में अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड डी.) के काम शामिल हैं जिसके द्वारा पूर्व चेतावनी तंत्र और क्षमता निर्माण पहलें विकसित होती हैं। योजना आयोग ने स्कीम को केंद्रीय प्रायोजिक स्कीम के रूप में 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दे दिया है। उत्तराखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन प्रवण राज्यों जिनसे एल.आर.एम. एस. के अंतर्गत प्रशमन उपायों को करने के लिए सर्वाधिक असुरक्षित स्थलों की पहचान करने और डी.पी.आर. प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, के परामर्श से यह स्कीम तैयार होने की प्रक्रिया के अधीन है।

बाढ़ जोखिम प्रशमन स्कीम (एफ.आर.एम.एस.)

7.31 एन.डी.एम.ए. ने बाढ़ जोखिम प्रशमन स्कीम (एफ.आर. एम.एस.) प्रसतावित की है जिसमें मॉडल बहु–उद्देश्यीय बाढ़ आश्रयों के विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं और बाढ़ की दशा में निकास के लिए ग्रामीणों को पूर्व चेतावनी देने के लिए बाढ़ मॉडलों को तैयार करने के लिए नदी घाटी–विशिष्ट बाढ़–पूर्व चेतावनी प्रणाली और डिजिटल एलिवेशन मानचित्रों के विकास हेतु निम्नलिखित राज्यों/संगठनों के प्रस्तावों/स्कीमों के वित्तपोषण पर विचार करने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। दोहराव वाली गतिविधियों की समाप्ति हेतु जल संसाधन मंत्रालय/केंद्रीय जल आयोग के परामर्श से प्रस्ताव सूत्रीकरण (फार्मूलेशन) के अतंर्गत है

भवन का वर्गीकरण (टाइपोलॉजी)

7.32 भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न भवन प्ररूपों के सूची पत्र तैयारी का तथा भवन सूची पत्रों में अंकित विभिन्न अनेक प्रकारों के लिए असुरक्षितता दूर करने संबंधी कार्यों के विकास का काम देश के विभिन्न भागों में पांच भिन्न–भिन्न नोडल संस्थानों अर्थात् (1) आई.आई.टी., रूड़की–उत्तरी अंचल (2) आई.आई.टी. खड़कपुर–पूर्वी जोन, (3) आई.आई. टी., गुवाहाटी–उत्तर पूर्वी क्षेत्र, (4) आई.आई.टी. मुंबई–पश्चिम जोन और (5) आई.आई.टी. मद्रास–दक्षिणी जोन के सहयोग से आई.आई.टी., मुंबई को सौंपा गया है।

7.33 आईआईटी, मुम्बई ने अंतिम (फाइनल) रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें निम्नलिखित बातें हैं जिन्हें एन.डी.एम.ए. द्वारा स्वीकृत किया गया है:

i) भारत में भवन के वर्गीकरण पर तकनीकी दस्तावेज।

ii) भवनों हेतु भूकंपीय असुरक्षितता आकलन विधियों पर तकनीकी दस्तावेज।

iii) विशेषज्ञ राय आधारित विधि पर तकनीकी दस्तावेज।

iv) विभिन्न भवन–वर्गीकरणों की भूकंपीय असुरक्षितता कार्य प्रणालियों पर तकनीकी दस्तावेज।

v) भवनों के सर्वेक्षण हेतु प्रयोक्ता नियम–पुस्तिका।

vi) भूकंपीय असुरक्षितता आकलन–क्षेत्र सर्वेक्षण हेतु ऑटोमेटिड सॉफ्टवेयर।

vii) भूकंपीय असुरक्षितता आकलन हेतु प्रयोक्ता नियम–पुस्तिका ऑटोमेटिड क्षेत्र सर्वेक्षण फॉर्म।

viii) भारत में भवन–निर्माण वर्गीकरणों के कैटेलॉग का संकलन।

ix) प्रबलित कंकरीट, स्टील मेसनरी और नॉन–इंजीनियर्ड बिल्डिंगें।

राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम–एन.डी.एम.ए. की एक प्रदर्शनात्मक परियोजना

7.34 जून, 2011 में भारत सरकार ने "राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम–एक प्रदर्शनात्मक परियोजना" को 48.47 करोड़ रुपए के एक परिव्यय के साथ 100% केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में मंजूरी दी। एन.डी.एम.ए. इसे 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों में लागू कर रहा है। इसमें भूकंपीय क्षेत्र V और VI में पड़ने वाले 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों के 8600 स्कूल शामिल हैं।

7.35 राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एन.एस.पी.पी.) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

क. एन.डी.एम.ए. स्तर पर

i) राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति बनाना।

ii) मॉडल स्कूल डी.एम. योजना और कृत्रिम कवायद के लिए खाका तैयार करना।

iii) राज्य–स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण मॉडयूलों का विकास।

iv) मास्टर प्रशिक्षकों और इंजीनियरों का प्रशिक्षण कराना।

v) राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों द्वारा संदर्भ, अडेप्शन और उपयोग हेतु आई.ई.सी. सामग्री के कंपेडियम का विकास।

vi) गैर–संरचनात्मक प्रशमन और पुनः मरम्मत कार्य हेतु दिशानिर्देश/चेक लिस्ट तैयार करना।

ख. राज्य स्तर पर

i) स्कूल सुरक्षा पर सुग्राहीकरण कार्यक्रमों का आयोजन

ii) स्कूलों हेतु डी.एम. योजना को तैयार करना

iii) प्रशिक्षण, कृत्रिम कवायद और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना

iv) स्कूलों में गैर–संरचनात्मक प्रशमन उपायों को लागू करना

v) किसी स्कूल की प्रदर्शनात्मक पुनःमरम्मत कराना।

7.36 31 मार्च, 2014 तक भागीदार राज्यों को 33.67 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। एन.डी.एम.ए. में पी.एम.यू. ने 91.13 लाख रुपए खर्च करके अधिकांश कार्यकलाप पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति बनाई जा रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न कार्यकलापों को क्रियान्वित करने के विभिन्न चरणों में है। एन.एस.एस.पी. के जून, 2013 से आगे विस्तार हेतु स्वतंत्र मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

मृदा पाइपिंग परियोजना

7.37 मृदा पाइपिंग केरल में हाल में देखी गई एक घटना है। सतह के नीचे (सब–सर्फेस) की मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया एक खतरनाक आपदा है क्योंकि मिट्टी का कटाव भूमि के नीचे होता है। केरल सरकार ने एन.डी.एम.ए. की वित्तीय सहायता से पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र (सी.ई.एस.एस.) के माध्यम से इस घटना का अध्ययन करने और आपदा से बचने के उपाय सुझाने के लिए मृदा पाइपिंग परियोजना शुरू की है। परियोजना की कुल लागत 87.11 लाख रुपए है। परियोजना के लिए एन.डी.एम.ए. का वित्तीय अंशदान 49.73 लाख रुपए और केरल सरकार का अंशदान 37.38 लाख रुपए है।

8 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल : आपातकालीन कार्रवाई को मजबूत करना

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल :

8.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 और 45 के उपबंधों के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) ने स्वयं को एन.डी.एम.ए. के एक सर्वाधिक दृष्टिगोचर और जीवन्त बल के रूप में स्थापित कर लिया है। एन.डी.आर.एफ. की दस बटालियनें अपनी तैनाती के लिए कार्रवाई में लगने वाले समय को घटाने हेतु असुरक्षितता विवरण के आधार पर देश के दस विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। चालू वर्ष (2013–2014) के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा यथा अनुमोदित एन.डी.आर.एफ. की दो और बटालियनों के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने 11वीं एन.डी.आर.एफ. बटालियन के लिए हरिद्वार में भूमि उपलब्ध कराने के लिए सिद्धांततः सहमति दे दी है। 12वीं बटालियन को पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित करने

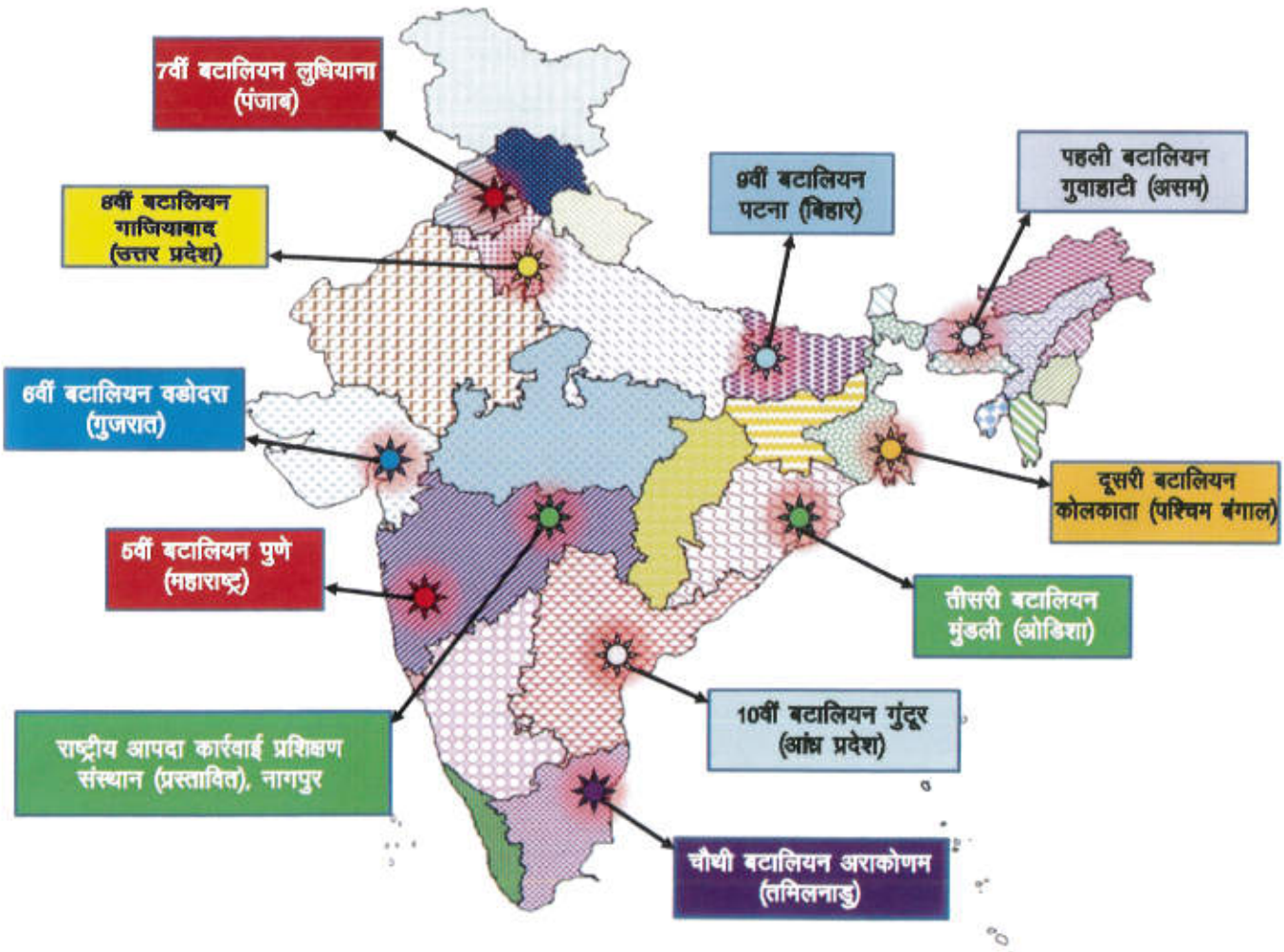

का प्रस्ताव है। एन.डी.आर.एफ. की वर्तमान दस बटालियनों के स्थान नीचे दर्शाए गए अनुसार हैं:

8.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं पर विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) के गठन के लिए सांविधिक उपबंध बनाए हैं। अधिनियम की धारा 45 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन और महानिदेशक, एन.डी.आर.एफ. की कमान और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना है। अधिनियम की धारा 44(i) में निहित दूरदृष्टि (विजन) के साथ एन.डी.आर.एफ. धीरे–धीरे सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं से निपटने में सक्षम एन.डी.एम.ए. के सर्वाधिक दृष्टिगोचर और जीवंत, बहु–विषयक और बहु–कुशल, उच्च तकनीक–प्राप्त बल के रूप में उभर रहा है।

दूरदृष्टि (विजन)

8.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 रोकथाम, प्रशमन और तैयारी पर बल देने के साथ–साथ आपदाओं के सकारात्मक, संपूर्ण और एकीकृत प्रबंधन के तत्कालीन कार्रवाई–केन्द्रित संलक्षण (सिंड्रोम) में आमूलचूल परिवर्तन पर विचार करता है। यह राष्ट्रीय दूरदृष्टि, अन्य बातों के साथ–साथ, सभी हितधारकों के बीच तैयारी की संस्कृति पैदा करने का लक्ष्य रखती है। एन.डी.आर.एफ. ने विभिन्न हितधारकों के साथ कृत्रिम ड्रिल और संयुक्त अभ्यास द्वारा संबंधित एन.डी.आर.एफ. बटालियनों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र के भीतर उच्च कौशल–युक्त बचाव और राहत अभियान, नियमित और गहन प्रशिक्षण और पुनःप्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और परिचय अभ्यासों द्वारा इस दूरदृष्टि को प्राप्त करने में अपना महत्त्व सिद्ध किया है।

एन.डी.आर.एफ. की भूमिका

- आपदाओं के दौरान विशिष्ट कार्रवाई
- आसन्न आपदा स्थितियों के दौरान सकारात्मक तैनाती
- अपने प्रशिक्षण और निपुणता का अर्जन और सतत उन्नयन
- संपर्क, टोह (सर्वेक्षण), रिहर्सल और मॉक ड्रिल
- राज्य कार्रवाई बल (पुलिस), नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड को बुनियादी और प्रचालन स्तर का प्रशिक्षण देना
- राज्य पुलिस का प्रशिक्षण और एस.डी.आर.एफ. बनाने में सहायता

समुदाय के साथ

- सामुदायिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- जन जागरूकता अभियान
- प्रदर्शनी : पोस्टर, पैम्फलेट, साहित्य
- ग्रामीण स्वयंसेवकों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण

संगठन

8.4 प्रारंभ में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) का गठन आठ बटालियनों (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ. और आई.टी.बी.पी., प्रत्येक में से दो–दो बटालियन लेकर) के साथ किया गया था, 2011–12 में 2 और बटालियन शामिल की गईं थीं: तथा 2013–14 में 2 और बटालियन शामिल की गई। आज इस बल ने "संसार के एकल विशालतम प्रतिबद्ध आपदा कार्रवाई बल" होने की अनोखी विशिष्टता अर्जित कर ली है।

8.5 प्रत्येक बटालियन में इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन, श्वान दल (डॉग स्क्वाड) और चिकित्सा/अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ समेत प्रत्येक में खोज और बचाव दल के 44 कार्मिक और 18 स्वतःपूर्ण (सेल्फ–कन्टेन्ड) है। प्रत्येक बटालियन की कुल स्टाफ संख्या लगभग 1,149 हैं। सभी बटालियनें भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि सहित प्राकृतिक आपदाओं और रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन) आपदाओं से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निपटने के लिए भी सुसज्जित और प्रशिक्षित हैं।

8.6 इसके अलावा, क्षेत्र की असुरक्षितता रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए देश के 20 दूर–दराज के दुर्गम स्थानों और संवेदनशील महानगरों में एन.डी.आर.एफ. टीमों/कंपनियों को तैनात करने के बारे में 9 नवंबर, 2011 को सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुक्रम में, एन.डी.आर.एफ. टीमों/कंपनियों की तैनाती के लिए उचित भूमि तलाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एन.डी.आर.एफ. टीमों/कंपनियों को तैनात करने की प्रास्थिति निम्नानुसार है:

एन.डी.आर.एफ. बटालियन	टीमें / कंपनियां	प्रास्थिति
एन.डी.आर.एफ. बटालियन गुवाहाटी	आइजॉल (मिजोरम)	मिजोरम सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
	ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	अरुणाचल प्रदेश सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन कोलकाता	गंगटोक (सिक्किम)	सिक्किम सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
	सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	परिवहन नगर, माटीगाढ़ा में 1 एकड़ का भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।
	कोलकाता (पश्चिम बंगाल) सी.बी.आर.एन. टीम	राज्य सरकार ने मौजामंडलगंथी, जिला 24 परगना (उत्तरी) कोलकाता में 0.94 एकड़ भूमि का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि का मूल्य लगाया जाना प्रतीक्षित है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन मुंडली	बालेश्वर (ओडिशा)	राज्य सरकार ने बालेश्वर में आधार ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए उपयुक्त सेटअप को तलाश किया जा रहा है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन अराकोणम	पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार)	राज्य सरकार आई.आर.बी. में मुफ्त आवास उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है। टीम को पोजिशन दी जा रही है।
	चेन्नई (तमिलनाडु) सी.बी.आर.एन. टीम	राज्य सरकार ने किराया आधार पर स्थान देने की पेशकश की है। लीज डीड के बाद टीम तैनात की जाएगी।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन पुणे	बंगलौर (कर्नाटक)	बंगलौर ने 2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। स्थायी / अर्द्ध–स्थायी भवन (स्ट्रक्चर) के निर्माण के बाद टीम को तैनात किया जाएगा।
	मुम्बई (महाराष्ट्र)	राज्य सरकार ने बोरीवली और मनखुर्द में स्थान देने की पेशकश की है। उपयुक्तता आकलन के बाद वहां टीम तैनात की जाएगी। वर्तमान में, अंधेरी स्पोर्टस् कॉम्प्लैक्स की 3 टीमें स्थायी रूप से तैनात की गई हैं।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन गांधीनगर	गांधीनगर (गुजरात)	राज्य सरकार ने देगाम में भूमि (लगभग 6 एकड़) का प्रस्ताव किया है।
	बाड़मेर (राजस्थान)	राज्य सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अस्थायी रूप से टीम को नरेली, किशन गढ़ में तैनात किया गया है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन भटिंडा	श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)	राज्य सरकार को अभी भूमि उपलब्ध करानी है।
	कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	भूमि का आबंटन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन गाजियाबाद	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	राज्य सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
	दिल्ली (सी.बी.आर.एन. टीम)	भूमि के लिए डी.डी.ए. को भुगतान कर दिया गया है। अभी कब्जा लेना बाकी है।

एन.डी.आर.एफ. बटालियन	टीमें / कंपनियां	प्रास्थिति
एन.डी.आर.एफ. बटालियन पटना	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	राज्य सरकार के विचारों के अनुसार एन.डी.एम.ए. ने गृह मंत्रालय से स्थल को वाराणसी से बदलकर गोरखपुर करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
	सुपौल (बिहार)	राज्य सरकार ने 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार से अंतिम प्रस्ताव प्राप्त करना प्रतीक्षित है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन गुंटूर	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	भूमि आंबटन प्रक्रियाधीन है। अस्थायी रूप से, एक टीम रंगारेड्डी में तैनात है।
	विशाखापट्टनम	राज्य सरकार को अभी भूमि उपलब्ध करानी है।

एन.डी.आर.एफ. : एन.डी.एम.ए. की उच्च प्राथमिकता

8.7 एन.डी.एम.ए. ने एन.डी.आर.एफ. को आपदा कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध विशेष बल के रूप में साबित करने के लिए अति आवश्यक प्रोत्साहन (आवेग) उपलब्ध करवाया है। सितम्बर, 2005 में अपने आरंभ से ही एन.डी.एम.ए. ने यह सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है कि एन.डी.आर.एफ. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षित और सुसज्जित हो। एन.डी.एम.ए. के अनुवर्ती प्रयासों से आज एन.डी.आर.एफ. "अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बहु–विषयक, बहु–कुशल, प्रशिक्षित और सुसज्जित एक हाइटेक विशेषज्ञ बल" बन गया है जो किसी प्राकृतिक आपदा या सी.बी.आर.एन. आपातस्थिति के लिए कार्रवाई करने में सक्षम है।

आपदा कार्रवाई

8.8 2013 में एन.डी.आर.एफ. ने आपदाओं के दौरान 37,729 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाकर उनकी जानें बचाईं और आपदा पीड़ितों के 677 शवों को बरामद किया। एन.डी.आर.एफ. द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान किए गए कुछ मुख्य कार्रवाई अभियानों को आगामी पैराग्राफों में उल्लिखित किया गया है।

चक्रवात पैलिन और उसके कारण आई बाढ़ें

8.9 अति खतरनाक चक्रवात पैलिन से निपटने के लिए ओडिशा (29 टीमें–1220 कार्मिक), आंध्र प्रदेश (19 टीमें–800 कार्मिक) और पश्चिम बंगाल (7 टीमें–300 कार्मिक) के साथ कुल मिलाकर 53 एन.डी.आर.एफ. टीमों (2320 कार्मिक) की पूर्व तैनाती की गई। बाद में, एन.डी.आर.एफ. की चार टीमों (160 कार्मिक) को बिहार में भी तैनात किया गया। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने 6,555 व्यक्तियों को चक्रवात पैलिन के बाद आई बाढ़ में सुरक्षित स्थानों तक पहुँचा कर

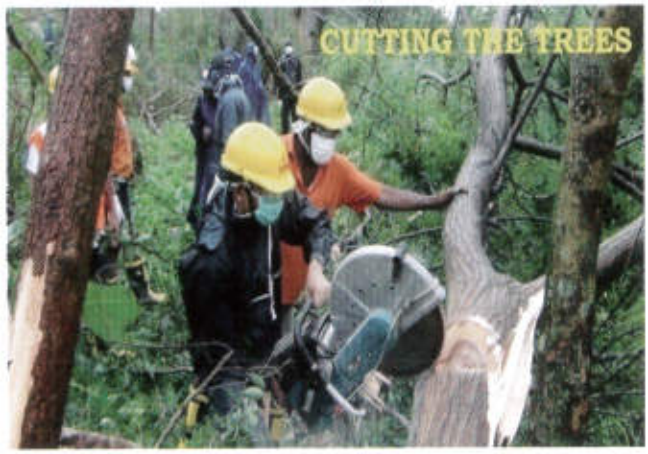

उनकी जानों को बचाया। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने राज्य प्राधिकारियों को राहत सामग्री के वितरण, चिकित्सा मदद देने, गिरे पड़े पेड़ों को काटकर सड़कों को खोलने, मलबा हटाने आदि के काम में भी सहायता की। कार्मिकों ने राज्य प्राधिकारियों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को 188 क्विंटल राहत सामग्री बंटवाई।

चक्रवात हय्यां से हुए नुकसान के बाद फिलीपीन्स में भेजी गई राहत सामग्री

8.10 विदेश मंत्रालय की मांग पर, 23 नवंबर, 2013 को केसरी नवल डॉकयार्ड, विजाक को 500 फैमिली टैंट और 20 लाइटिंग टावर भेजे गए ताकि उन्हें विनाशकारी चक्रवात 'हैय्यां' द्वारा किए गए नुकसान के बाद राहत सहायता के रूप में फिलीपीन्स को आगे भेजा जा सके। यह पहली बार है कि किसी बड़ी आपदा के बाद एक मानवीय कदम के रूप में एन.डी.एम.ए. ने विदेश में राहत सामग्री भेजी है।

उत्तराखंड की आकस्मिक बाढ़ें

8.11 14–17 जून, 2013 के दौरान बादल फटने के साथ आई भारी बारिश के बाद, उत्तराखंड में विनाशकारी

आकस्मिक बाढ़ें आई। प्रभावित क्षेत्रों (केदारनाथ, रामबाड़ा, गुप्तकाशी, गौरीकुंड, भैरवछट्टी, लस्कर, हरिद्वार आदि) में 37 नावों और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ. बटालियन गाजियाबाद और भटिन्डा की 14 टीमों (449 कार्मिक) को तैनात किया गया। एन.डी.आर. एफ. कार्मिकों ने 9,657 लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाकर उनकी जान बचाई। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने बाढ़ पीड़ितों के 306 शवों को बरामद किया गया 1,16,40,000 (भारतीय एवं विदेशी मुद्रा तथा जेवरात) को भी बरामद किया और उन्हें संबंधित प्राधिकारियों को सौंप दिया। एन.डी.आर.एफ. ने गुप्तकाशी में खराब हालत वाले 920 पीड़ितों को चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई।

चक्रवात हैलेन

8.12 राज्य प्राधिकारियों की मांग पर, 56 नाव और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ. की 15 टीमों (575 कार्मिकों) की 20–23 नवंबर, 2013 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के नैल्लोर, गुंटूर, प्रकाशन, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा जिलों में पूर्व–तैनाती की गई। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने सफलतापूर्वक चक्रवात आपदा में फंसे 250 लोगों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। एन.डी.आर.एफ. ने चक्रवात से गिरे पड़े पेड़ों और मलबे को हटाकर सड़कों को खोलने में भी राज्य प्राधिकारियों की मदद की।

ठाणे, मुंबई में बिल्डिंग का गिरना

8.13 4 अप्रैल, 2013 को ठाणे के पास मुंबरा में एक सात मंजिला आवासीय बिल्डिंग के गिरने और उसके मलबे के नीचे वहां रहने वालों के फंसे होने पर जिला प्राधिकारियों की मांग पर, तीन खोजी कुत्तों और अन्य मलबा खोज तथा बचाव उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ, पुणे की दो टीमें तुरंत घटना–स्थल पर पहुंची और खोज तथा बचाव अभियान प्रारंभ किए। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने सफलतापूर्वक कंकरीट के मलबे के नीचे दबे हुए/फंसे हुए 62 जीवित पीड़ितों को बचाया और अभियान के दौरान 72 पीड़ितों के शवों को बरामद किया, अभियान 43 घंटों तक जारी रहा।

चिठेरी, बेल्लौर, तमिलनाडु में पैसेंजर ट्रेन का पटरी से उतरना

8.14 10 अप्रैल, 2013 को बैल्लोर के निकट चितेरी में मुजफ्फरपुर–यशवंतपुर पैसेंजर ट्रेन के 11 कोचों के पटरी से उतरने के संबंध में जिला प्राधिकारियों की मांग पर, खोज तथा बचाव उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ. बटालियन, अराकोणम की 05 टीमें (183 कार्मिक) घटना–स्थल पर पहुंची और खोज तथा बचाव कार्य प्रारंभ किया। एन.डी.आर. एफ. कार्मिकों ने सफलतापूर्वक ट्रेन के क्षतिग्रस्त कोचों को काटकर उनमें फंसे 10 यात्रियों की जान बचाई।

बिहार में बाढ़

8.15 महानंदा नदी में बढ़ते जल–स्तर के कारण बिहार के पूर्णिया और सुपौल जिलों में बाढ़ की स्थिति बन जाने के बाद बी.एस.डी.एम.ए. की मांग पर, फुलाए जाने वाली (इनफ्लेटेबल) नावों और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ. की 05 टीमों (181 कार्मिकों) को तुरंत राहत और बचाव अभियानों के लिए प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया। महानंदा नदी में आई बाढ़ के बढ़े हुए जल में

फंसे 370 लोगों को एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों द्वारा बाहर निकाला गया।

माहिम, महाराष्ट्र में बिल्डिंग का गिरना

8.16 माहिम में 10 जून, 2013 को एक चार मंजिला बिल्डिंग के गिरने पर बी.एन.सी. की मांग पर, एन.डी.आर. एफ. बटालियन, पुणे की 2 टीमें (90 कार्मिकों) घटना स्थल पर पहुंची और खोज तथा बचाव कार्य किया और एन.डी. आर.एफ. कार्मिकों ने सफलतापूर्वक मलबे में फंसे 5 लोगों की जान बचाई और 10 शवों को बरामद किया।

ठाणे, महाराष्ट्र में बिल्डिंग का गिरना

8.17 ठाणे के काथेर गांव में 4 जुलाई, 2013 को एक दो मंजिला बिल्डिंग के गिरने पर जिला प्राधिकारियों की मांग पर, एन.डी.आर.एफ. की 2 टीमें (90 कार्मिकों) घटना स्थल पर पहुंची और खोज तथा बचाव कार्य किया और एन.डी. आर.एफ. कार्मिकों ने सफलतापूर्वक मलबे में फंसे 24 लोगों की जान बचाई और 1 शव को मलबे से बाहर निकाला।

पंजाब में बाढ़

8.18 19 अगस्त, 2013 को पंजाब के फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों में बाढ़ के खतरनाक हालात के बारे में सूचना मिलने पर राज्य प्राधिकारियों की मांग पर, फुलाए जाने वाली (इनफ्लेटेबल) 8 नावों और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ. बटालियन भटिन्डा की 2 टीमों (69 कार्मिकों) को प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत तैनात किया और उन्होंने राहत और बचाव कार्य प्रारंभ किया। बाढ़ में फंसे 460 लोगों को एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों द्वारा सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया और बाढ़ में डूबा एक शव भी बरामद किया।

महाराष्ट्र में बाढ़

8.19 1 अगस्त, 2013 को जिले में बाढ़ के खतरनाक हालात के बारे में सूचना मिलने पर जिला प्राधिकारियों की मांग पर, फुलाए जाने वाली (इनफ्लेटेबल) 8 नावों और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ. बटालियन, पुणे की 2 टीमों (76 कार्मिकों) को यवतमाल जिले में तैनात किया और उसने राहत और बचाव कार्य किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 125 लोगों को एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों द्वारा बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया और बाढ़ में डूबे हुए 3 शवों को भी बरामद किया गया।

आंध्र प्रदेश में बाढ़

8.20 20 जुलाई, 2013 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर, अजलाबाद, खम्माम, वारांगल, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिलों में बाढ़ के खतरनाक स्थिति होने पर राज्य प्राधिकारियों की मांग पर, 60 मोटराइज नावों के साथ एन.डी.आर.एफ. की 10 टीमों (414 कार्मिकों) की प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत तैनाती की गई और बचाव तथा राहत कार्य प्रारंभ किए। बचाव तथा राहत कार्य अभियान 8 अगस्त, 2013 तक जारी रहे। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने बाढ़ में फंसे 3,108 लोगों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और बाढ़ में डूबे चार लोगों के शवों को भी बाहर निकाला।

केरल में बाढ़

8.21 6 अगस्त, 2013 को केरल के इदुक्की, अरनाकुलम और कोजीकोड़े जिलों में बाढ़ और भूस्खलनों के खतरनाक हालात के बारे में सूचना मिलने पर राज्य प्राधिकारियों की मांग पर, फुलाए जाने वाली (इनफ्लेटेबल) 30 नावों और अन्य बाढ़ बचाव उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ. की 6 टीमों (239 कार्मिकों) को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से फंसे 156 लोगों को एन.डी.आर. एफ. कार्मिकों द्वारा बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया और बाढ़ में डूबे हूए 2 शवों को बरामद किया गया। एन.डी.आर.एफ. द्वारा तेजी से किए गए बचाव तथा राहत कार्यों की राज्य सरकार, स्थानीय लोगों और मीडिया ने अत्यधिक प्रशंसा की।

पश्चिम बंगाल में बाढ़

8.22 बाढ़ की खराब स्थिति की सूचना मिलने पर राज्य प्राधिकारियों की मांग पर, 44 नाव और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ. की 10 टीमों (361 कार्मिकों) की पश्चिम बंगाल के मालदा, मैनागुडी, पश्चिमी तथा पूर्वी मेदिनीपुर और कोलकाता में तैनाती की गई। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने बचाव और राहत कार्य किए और अलग–अलग स्थानों से बाढ़ में फंसे 697 लोगों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने बाढ़ में फंसे गांव वालों के बीच राहत सामग्री तथा दवाइयां भी बांटी।

गुजरात में बाढ़

8.23 गुजरात के विभिन्न जिलों में बाढ़ की खराब स्थिति की सूचना मिलने पर राहत आयुक्त, गुजरात की मांग पर, 56 मोटराइज्ड नावों के साथ एन.डी.आर.एफ. की 10 टीमें (350 कार्मिकों) तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची और बचाव और राहत कार्य शुरु किए। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने भड़ौच, सूरत, नवसारी, वडोदरा और राजकोट जिलों में बाढ़ में फंसे 1,074 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर जान बचाई।

अन्य तैनातियां

अमरनाथ यात्रा के दौरान तैनाती

8.24 सुवाह्य (पोर्टेबल) आश्रय और अन्य एम.एफ.आर. और सी.एस.एस.आर. उपस्करों के साथ एन.डी.आर.एफ. बटालियन भटिंडा की चार टीमें (183 कार्मिक) अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए 06 जून से 24 अगस्त, 2012 तक कश्मीर घाटी में पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, बालटाल और पंचतारनी में तैनात की गई थीं। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों द्वारा पिस्सूटाप से चंदनवाड़ी तक 06 शवों और 08 जख्मी पीड़ितों को ले जाया गया, 84 व्यक्तियों को अस्पताल–पूर्व उपचार प्रदान किया गया और लगभग 5,200 यात्रियों को अन्य प्रशासनिक सहायता प्रदान की गई थी।

इंटरनेशनल एरोस्पेस एक्सपोजिशन एअरो इंडिया, 2013

8.25 सी.एस.एस.आर., सी.बी.आर.एन. और अन्य जीवन रक्षक उपस्करों सहित एन.डी.आर.एफ. की तीन टीमों (117 कार्मिक) को किसी आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए 26 जनवरी से 12 फरवरी, 2013 तक की अवधि के दौरान बंगलौर, कर्नाटक में आयोजित इंटरनेशनल एओस्पेस एक्सपोजिशन एअरो इंडिया शो, 2013 के दौरान तैनात किया गया था।

क्षमता निर्माण

8.26 आपदा प्रबंधन से परिचित होने के अभ्यास, जागरूकता पैदा करना और समुदाय क्षमता निर्माण सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण घटक हैं। चूंकि समुदाय निर्विवाद रूप से प्रथम प्रतिक्रियादाता होता है, इसलिए यदि किसी आपदा के मामले में कार्रवाई करने के बारे में स्थानीय लोगों को उचित ढंग से सुग्राही बनाया जाता है तो जीवन की हानि और सम्पत्ति की क्षति को काफी कम किया जा सकता है। इस प्रकार एन.डी.आर.एफ. स्वयं को बड़े पैमाने पर सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन जागरूकता

कार्यक्रमों में लगा रहा है, जिसमें उच्च संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर लोगों (प्रथम प्रतिक्रियादाताओं) और संबंधित सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। वर्ष 2013 के दौरान देश के विभिन्न भागों में एन.डी.आर.एफ. द्वारा 4.34 लाख से अधिक सामुदायिक कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया है।

प्रशिक्षण

आई.एन.एस.ए.आर.जी. बाह्य वर्गीकरण (आई.ई.सी.) के प्रति एन.डी.आर.एफ. टीम का प्रशिक्षण

8.27 स्विस विशेषज्ञों द्वारा जनवरी, 2013 में प्रक्रिया विज्ञान मॉडयूल में प्रशिक्षण; अगस्त, 2013 में लीडरशिप पर यू.एस.ए.आर. मिशन; मई एवं जून, 2013 में बचाव प्रक्रिया विज्ञान में प्रशिक्षण; और एन.डी.आर.एफ. बटालियन मुंडली की लोकेशन पर आई.ई.सी. प्रशिक्षण पर आयोजित किया गया था। एन.डी.आर.एफ. की आई.ई.सी. टीम के सभी सदस्यों ने स्विस विकास निगम (एस.डी.सी.) के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए इन प्रशिक्षणों में भाग लिया।

आई.ई.सी. के प्रति एन.डी.आर.एफ. टीम का श्वानीय प्रशिक्षण (केनाइन ट्रेनिंग)

8.28 मार्च, मई और अक्तूबर, 2013 में एन.डी.आर.एफ. बटालियन मुंडली में स्विस विषेशज्ञों द्वारा खोज (श्वानीय) प्रशिक्षण के तीन मॉड्यूल आयोजित किए गए थे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रत्युत्तर कार्यों के लिए एन.डी. आर.एफ. की विशाल यू.एस.ए.आर. टीम का खोज घटक तैयार करना था। एन.डी.आर.एफ. की आई.ई.सी. टीम द्वारा वर्ष 2015 में आई.ई.सी. परीक्षा देने की आशा की जाती है।

राज्यों के प्रथम प्रतिक्रियादाताओं का प्रषिक्षण

8.29 राज्यों की क्षमता निर्माण की पहलों के भाग के रूप में, एन.डी.आर.एफ. बटालियन राज्य के प्रथम प्रतिक्रियादाताओं अर्थात एस.डी.आर.एफ., पुलिस, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के कार्मिकों को आपदा कार्रवाई प्रशिक्षण देती रही हैं। वर्ष 2013 में विभिन्न राज्यों में एन.डी.आर.एफ. बटालियनों ने कुल 2,077 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया था।

कृत्रिम अभ्यास (मॉक एक्सरसाइज)

8.30 2013 में, एन.डी.आर.एफ. बटालियनों ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न हितधारकों के साथ रासायनिक (औद्योगिक) आपदाओं, शहरी बाढ़, चक्रवातों, भूकम्प अनुरूपण, रेल दुर्घटनाओं आदि पर 67 कृत्रिम अभ्यास आयोजित किए। कृत्रिम अभ्यासों के दौरान एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने खोज और बचाव (एस.ए.आर.) अभियान, चिकित्सा प्रथम कार्रवाई (एम.एफ.आर.), बड़ी दुर्घटना के एक परिदृश्य में ट्राइएज में फंसे पीड़ितों के बचाव के तरीकों, ढही इमारतों के मलबे में फंसे पीड़ितों की खोज और लोकेशन ढूढने की तकनीकें, विसंदूषण के कार्यों आदि का प्रदर्शन किया।

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भूकंप पर प्रदर्शनी और कृत्रिम अभ्यास (मॉक एक्सरसाइज)

8.31 जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, एन.डी. आर.एफ. ने 14–17, नवंबर, 2013 के दौरान भारत अंतर्राष्ट्रीय

व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में खोज और बचाव उपस्करों पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। अनेक छात्रों और व्यावसायिकों ने एन.डी.आर.एफ. स्टाल को देखा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2013 के दौरान, एन.डी.आर.एफ. ने 18 नवबंर को भूकंप पर एक कृत्रिम अभ्यास का आयोजन किया। इस कृत्रिम अभ्यास को स्कूली छात्रों, सी.ए.पी.एफ.के. कामिकों और अन्य लोगों ने देखा।

राज्यों में एस.डी.आर.एफ. का गठन

8.32 14 राज्यों ने राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस.डी. आर.एफ) का गठन किया और 3 अन्य राज्य गठन करने के लिए प्रक्रियारत हैं। एन.डी.एम.ए. राज्यों से एन.डी.आर.एफ. की तर्ज पर एस.डी.आर.एफ. को एक प्रतिबद्ध बल के रूप में गठित करने की वकालत कर रहा है।

नागपुर में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई अकादमी

8.33 नागपुर में एक शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान (राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई अकादमी) प्रस्तावित है जिसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही भूमि तलाश कर रखी है। अकादमी एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ. के लिए प्रशिक्षक और मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेगी और इसे आपदा कार्रवाई में सार्क देशों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी सुसज्जित किया जाएगा।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस.डी.आर.एफ) की प्रास्थिति

क्र. सं.	राज्य	कंपनियों की संख्या	टिप्पणियां
	जहां कंपनियां पहले से तैनात है		
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	एन.डीआर.एफ. ने अक्तूबर 2008 से एस.डी.आर.एफ. कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है।
2.	नागालैंड	8	एन.डी.आर.एफ. द्वारा प्रशिक्षित एस.डी.आर.एफ. को पहले ही गठित किया जा चुका है। कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नही की गई।
3.	मिजोरम	6	एन.डीआर.एफ. द्वारा प्रशिक्षित एस.डी.आर.एफ. को पहले ही गठित किया जा चुका है। कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नही की गई।
4.	त्रिपुरा	6	आपदा कार्रवाई टीम में मौजूदा टी.एस.आर. बटालियनों की एक टीम को नामित करने का निर्णय 18.08.2010 को लिया गया।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	8	राज्य पत्र दिनांक 25.02.2009 के द्वारा एस.डी.आर.एफ. बनाने पर सहमत हो गया।
6.	बिहार	6	अधिसूचना 698 दिनांक 16 मार्च, 2010 के द्वारा बिहार सरकार।
7.	तमिलनाडु	1 (दो टीमें तैनात हैं)	तमिलनाडु सरकार गृह (पी.ओ.एल.12) विभाग पत्र सं० 29970/पी.ओ.एल. XII/2012–1 दिनांक 22,08.2012। एस.डी.आर.एफ. की वास्तविक तैनाती की अभी प्रतीक्षा है।
8.	ओडिशा	3	ओ.डी.आर.ए.एफ. अधिसूचना 939/सी.डी. दिनांक 07.02.2001 के द्वारा गठित किया गया और बाद में प्रशिक्षित किया गया।
	गठन के अंतर्गत		

क्र. सं.	राज्य	कंपनियों की संख्या	टिप्पणियां
9.	असम	2	राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस.डी.आर.एफ.) के गठन को अग्नि सेवा निदेशालय के अधीन असम में अधिसूचित किया गया और एस.डी.आर.एफ. की 2 कंपनियां बनाने के लिए 280 पदों को स्वीकृत किया गया।
10.	आंध्र प्रदेश	3	आंध्र प्रदेश सरकार दिनांक 22.06.2012 को एस.डी.आर.एफ. के गठन पर सहमत हो गई। वास्तविक तैनाती की अभी प्रतीक्षा है।
11.	महाराष्ट्र	4	राज्य सरकार दिनांक 24.09.2012 को एस.डी.आर.एफ. के गठन पर सहमत हो गई। वास्तविक तैनाती की अभी प्रतीक्षा है।
12.	गुजरात	11	वर्ष 2012–13 में 2 बैचों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा एस.डी.आर.एफ. की 3 प्रतिबद्ध कंपनियों पर सिद्धांततः सहमति हो गई और इनकी तैनाती अभी की जानी है।
13.	केरल	4	केरल सरकार अपने पत्र सं० 35223/के.1/2010/डी.एम.डी. दिनांक 21.01.2012 के द्वारा एस.डी.आर.एफ. के गठन पर सहमत हो गई। वास्तविक तैनाती की अभी प्रतीक्षा है।
14.	राजस्थान	1	एस.डी.आर.एफ. का 2010 में गठन किया गया। वास्तविक तैनाती, उत्तरवर्ती प्रशिक्षण के लिए प्रयास किए जा रहें हैं।
	कुल (14 राज्य)	63 एवं 2 टीमें	जहां कंपनियां पहले से तैनात है–38 (2 टीमें) गठन के अंतर्गत–25

एस.डी.आर.एफ. के गठन की प्रक्रिया में रत (3 राज्य)

1. कर्नाटकः कर्नाटक सरकार ने अपने पत्र सं० एच.डी. 183 एस.एफ.बी. 2012 के द्वारा सूचित किया कि
   क) चरण–i में 2013 से 2015 तक एस.डी.आर.एफ. की 4 कंपनियां बनाई जाएंगीं,
   ख) चरण–ii में (2015–2017) तक में 3 कंपनियां, तथा
   ग) चरण–iii में (2017–2019) तक में 2 कंपनियां, कुल 1 बटालियन।
   9 कंपनियां (कुल)
2. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंडः प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

9 प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

9.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं– (i) नीति, योजना, क्षमता निर्माण और जागरूकता प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन और समन्वय प्रभाग, तथा (v) वित्त और लेखा प्रभाग।

नीति, योजना, क्षमता निर्माण और जागरुकता प्रभाग

9.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता उपायों से जुड़े सभी मामलों को देखता है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल कराना भी इस प्रभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रभाग में स्वीकृत कुल कर्मचारी 15 हैं जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) तथा 8 सहायक स्टाफ शामिल हैं।

9.3 क्षमता निर्माण भी इस प्रभाग का एक अन्य कार्य है जो एन.डी.एम.ए. का एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में ले रखा है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर उत्पन्न की जाए। यह समुदाय और जमीनी स्तर के अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ–साथ, इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट, दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरूकता सृजन करने की अवधारणा और निष्पादन का काम भी करता है।

प्रशमन प्रभाग

9.4 इस प्रभाग का उत्तरदायित्व चक्रवातों, भूकंपों, बाढ़ों, भूस्खलनों और पूर्ण सुरक्षित संचार तथा आई.टी. योजना आदि जैसे आपदा विषयों के बारे में मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाओं का कार्य हाथ में लेना है। यह माइक्रोजोनेशन, असुरक्षितता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों का कार्य भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 10 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव के स्तर का), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और 5 सहायक स्टाफ हैं।

प्रचालन और संचार प्रभाग

9.5 शीर्ष निकाय के रूप में, एन.डी.एम.ए. को किसी भी समय आपदा की स्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहना अनिवार्य है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण परिचित रहना आवश्यक है। महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप के लिए एन.डी.एम.ए. के पास दिन–रात आपदा–विनिर्दिष्ट सूचना और आंकड़ों संबंधी जानकारी (इनपुट) देने की सुविधा के लिए एक प्रचालन केंद्र है तथा यह कार्रवाई के बाद के चरणों में भी प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। यह प्रभाग पुनर्वास एवं पुनर्बहाली संबंधी कार्यों में भी निकटता से शामिल रहता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त नव–निर्मित वातावरण आपदा समुत्थानशील हो।

9.6 इस प्रभाग का काम समर्पित और अनवरत प्रचालनात्मक नवीनतम संचार प्रणाली का रखरखाव करना भी है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी खंड के आधारभूत घटक में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क तथा जी.आई.एस. आधारित अनुप्रयोगों पर बल सहित ज्ञान प्रबंधन और आंकड़ों के संयोजन के विशेष संदर्भ में आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल हैं। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 19 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और 7 सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन और समन्वय प्रभाग

9.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके क्रियाकलापों में मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के साथ विस्तृत पत्राचार करना शामिल है। यह प्रभाग एन.डी.एम.ए. के सदस्यों और स्टाफ को सभी स्तरों पर प्रशासनिक एवं संभार–तंत्र संबंधी सहायता भी प्रदान करता है। इस प्रभाग में स्वीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या 22 है जिसमें एक संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव और 18 सहायक कर्मचारी हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

9.8 वित्त और लेखा प्रभाग लेखा–अनुरक्षण रखने, बजट बनाने, प्रस्तावों की वित्तीय संवीक्षा आदि विषयक कार्य करता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति को मॉनीटर करता है तथा अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है। इस प्रभाग में स्वीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या 6 है जिनमें एक वित्तीय सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव स्तर का) और 3 सहायक कर्मचारी हैं। इसके कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देना।
- स्कीम और महत्त्वपूर्ण व्यय प्रस्ताव तैयार करने में, उनसे उनके आरंभिक चरणों से ही, निकटता से जुड़े रहना।
- लेखा–परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराओं आदि के निपटारे का काम देखना,
- लेखा परीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों की समय से प्रस्तुति को सुनिश्चित करना।

एन.डी.एम.ए. के लिए बजट तैयार करना तथा उसकी मॉनीटरिंग करना

9.9 एन.डी.एम.ए. के लेखा का हिसाब–किताब मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाता है। एन.डी.एम.ए. के भुगतान तथा प्राप्ति कार्यों का प्रबंध भी मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वेतन एवं लेखा कार्यालय, एनडीएमए द्वारा किया जाता है।

वित्त और बजट

एन.डी.एम.ए.– वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए व्यय (समेकित) (आयोजना) – अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 की अवधि के लिए

एन.डी.एम.ए. अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के लिए बजट आबंटन एवं व्यय (आयोजना)

(लाख रुपए)

परियोजना का नाम	बजट आबंटन	व्यय
राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी.)	900	0.85
भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एल.आर.एम.पी.)	140	0
आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क (डी.एम.सी.एन.)	250	7.96
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ.डी.एम.पी.)	9300	360.37
विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)	25000	22174.25
बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना (एफ.आर.एम.पी.)	10	0
योग	**35600**	**22543**

एन.डी.एम.ए.– अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 की अवधि के लिए बजट आबंटन एवं व्यय (आयोजना)

(लाख रुपए)

वस्तु शीर्ष	ब.अ. 2013–14	व्यय 2013–14
वेतन	1,000	798.14
मजदूरी	0.10	0
समयोपरि भत्ता	0.10	0
घरेलू यात्रा व्यय	270	269.94
विदेशी यात्रा व्यय	25	15.90
कार्यालय व्यय	500	499.96
किराया, दर और कर	0.10	0
प्रकाशन	55	55.53
अन्य प्रशासनिक व्यय	100	54.89
आपूर्ति एवं सामान	0.10	0
पी.ओ.एल.	0.50	0
विज्ञापन और प्रचार	905	667.89*
लघु कार्य	100	6.12
व्यावसायिक सेवाएं	110	194.89
अन्य प्रभार	5.1	0.068
सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय व्यय	75	64.61
कुल योग	**3146**	**2627.95**

* *सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आंकड़े समाहित–विज्ञापन एवं प्रचार निदेशालय*

अनुबंध–I

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

वर्तमान संघटन

1.	भारत के माननीय प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16.12.2010 से)
3.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (15.12.2011 से)
4.	मेज. जन. जे. के. बंसल	सदस्य (06.10.2010 से)
5.	श्री टी. नन्दकुमार	सदस्य (08.10.2010 से 28.02.2014 तक)
6.	डॉ. मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10.12.2010 से)
7.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (14.12.2011 से)
8.	डॉ. हर्ष के. गुप्ता	सदस्य (23.12.2011 से)
9.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (04.06.2012 से)
10.	श्री विनोद के. दुग्गल	सदस्य (22.06.2012 से 23.12.2013 तक)
11.	डॉ. के. सलीम अली	सदस्य (03.03.2014 से)
12.	श्री के.एन. श्रीवास्तव	सदस्य (03.03.2014 से)

संस्थापक सदस्य

1.	जन. एन. सी. विज	उपाध्यक्ष (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
2.	लेफ्टि. जन. (डॉ.) जे. आर. भारद्वाज	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
3.	डॉ. मोहन कान्डा	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
4.	प्रो. एन. विनोद चन्द्र मेनन	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
5.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
6.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
7.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य (14.08.2006 से 13.08.2011 तक)
8.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (21.08.2006 से 20.08.2011 तक)
9.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (18.04.2007 से 17.04.2012 तक)

अनुबंध–II

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1.	श्री सत्य. एन. मोहन्ती, सचिव (28.02.2014 से)
2.	डॉ. श्याम एस. अग्रवाल, सचिव (15.02.2013 से 05.12.2013 तक)
3.	श्रीमती अर्चना गोयल गुलाटी, वित्तीय सलाहकार (01.02.2012 से)
4.	डॉ. (श्रीमती) अनिता भटनागर जैन, संयुक्त सचिव एवं सलाहकार (21.06.2013 से)
5.	श्रीमती नीलकमल दरबारी, संयुक्त सचिव (01.07.2013 से)
6.	श्री अनिल कुमार संघी, संयुक्त सचिव एवं सलाहकार (03.12.2013 से)
7.	श्रीमती सुजाता सौनिक, सलाहकार (18.12.2009 से 30.06.2013 तक)
8.	श्री सत्यजीत राजन, संयुक्त सचिव (15.11.2012 से 17.09.2013 तक)
9.	ब्रिगेडियर एस. विश्वनाथन, सलाहकार (26.11.2012 से 24.01.2014 तक)
10.	श्री एस.पी. वासुदेव, परियोजना निदेशक, एन.सी.आर.एम.पी. (19.01.2012 से)
11.	श्री आर.के. सिंह, निदेशक (05.07.2012 से)
12.	श्रीमती मधुलिका गुप्ता, संयुक्त सलाहकार (01.09.2010 से)
13.	श्री बी.एस. अग्रवाल, संयुक्त सलाहकार (25.04.2011 से)
14.	श्री विनय काजला, संयुक्त सलाहकार (31.08.2012 से)
15.	श्री आर.के. चोपड़ा, उप सचिव (04.04.2011 से)
16.	श्री एस.के. सिंह, निदेशक (23.07.2012 से)
17.	श्री धीरेन्द्र सिंह सिन्धु, संयुक्त सलाहकार (26.06.2013 से)
18.	कर्नल नदीम अरशद, संयुक्त सलाहकार (20.08.2013 से)
19.	श्री भूपिन्दर सिंह, उप सचिव (25.02.2013 से)
20.	श्रीमती प्रीति बांजल, संयुक्त सलाहकार (15.09.2010 से 13.09.2013 तक)
21.	श्री एस.एस. जैन, उप परियोजना निदेशक, एन.सी.आर.एम.पी. (09.11.2012 से)
22.	डॉ. पवन कुमार सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (23.05.2008 से)
23.	डॉ. एस.के. जेना, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (01.08.2008 से)
24.	श्री जे.सी. बाबू, सहायक सलाहकार (03.10.2008 से)
25.	श्री एस.के. प्रसाद, सहायक सलाहकार (01.10.2008 से)
26.	श्री ए.के. जैन, सहायक सलाहकार (03.11.2008 से)

27.	श्री बुद्ध राम, सहायक वित्तीय सलाहकार (31.12.2008 से)
28.	श्रीमती विजयलक्ष्मी भारद्वाज, सहायक सलाहकार (19.01.2009 से 28.02.2014 तक)
29.	श्री नवल प्रकाश, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (22.05.2009 से)
30.	डॉ. ए.के. सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (22.10.2010 से)
31.	श्री पार्था कंसबनिक, अवर सचिव (18.08.2011 से)
32.	श्री अमल सरकार, अवर सचिव (14.11.2012 से)
33.	श्री आर.के. सिन्हा, अवर सचिव (15.11.2012 से)
34.	श्री आर. के. यादव, परियोजना लेखाकार/प्रशासनिक अधिकारी, एन.सी.आर.एम.पी. (03.07.2012 से)
35.	श्री तुरम बारी, अवर सचिव (01.01.2013 से)
36.	सुश्री आम्रपाली पन्थी, सहायक सलाहकार (03.06.2013 से)
37.	डॉ. मोनिका गुप्ता, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (24.07.2013 से)
38.	श्री रमेश कुमार मिश्रा, सहायक सलाहकार (28.03.2014 से)